

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, the question is.

"That leave be granted to Shri N. K. Sanghi to withdraw his Bill".

The motion was adopted

SHRI N. K. SANGHI. Sir, I withdraw the Bill.

15.30 hrs.

REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) BILL

(Amendment of section 8) by Shrimati Subhadra Joshi

MR DEPUTY-SPEAKER Now, we shall take up the Bill further to amend the Representation of the People Act, 1951 by Shrimati Subhadra Joshi.

श्रीमती सुभद्रा जोशी (चादनी चौक)
उपाध्यक्ष महोदय, मैं "रिप्रजेंटेशन ऑफ़ दी पियूपिल एक्ट, 1951" को आगे अमेन्ड करने के लिये अपना बिल मूव करती हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछली लोक सभा के सदन ने एक ऐसा कानून पास किया था जो क्रिमिनल-ला-एमेन्डमेंट बिल के नाम से जाना जाता है। उसके अन्दर जो धारा 153 (बी) जोड़ी गई थी, उसके मुताबिक अन-लाफुल एक्टिविटीज़ की परिभाषा भी बदल दी गई थी और यह कहा गया था कि जो लोग ऐसी ट्रिजल, एक्सरसाइज़ या इस किस्म, की हुरकतें करें, जो क्रिमिनल ला एमेन्डमेंट बिल के अनुसार अपराध हों तो उनको भी 153 (बी) के अन्तर्गत लिया गया था। उसका उद्देश्य यह था कि जो लोग प्रोपेगन्डा करें, जाति के नाम से, धर्म के नाम से, रैस के नाम से, भाषा के नाम से मनफरत फैलाये, उसके लिए ट्रिजल या एक्सरसाइज़ करें जिससे कि दूसरे लोग डरे और उनमें नफ़रत फैले तो क्रिमिनल कोड के मतानुसार उसको भी अपराध समझा जाये।

उस समय होम मिनिस्टर साहब ने यह कहा था—यह इस लिये आवश्यक है कि अगर एक आदमी किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाता है या उसके खिलाफ प्रचार करता है तो सजा पा सकता है। लेकिन अगर कोई समूह उस अपराध को करता है, तो वह कुमूर नहीं समझा जाता है, तो इस उद्देश्य से वह कानून पास किया गया था।

15.32 hrs

[SHRI K N TIWARY in the Chair]

मेरा जो अमेन्डमेंट पियूपिल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में है, वह यह है कि जिस तरह से आप ने इस कानून की धारा 152 (ए) के अन्तर्गत एमे व्यक्ति के लिये सजा रखी है कि वह 6 साल के लिये डिस्कवालीफाई कर दिया जाता है, किसी विधान-सभा या लोक-सभा के चुनाव के लिए खड़ा नहीं हो सकता, उसी तरह में आपने जो क्रिमिनल ला एमेन्डमेंट बिल पास किया था और उसमें जो दूसरी धारा 153 (बी) जोड़ी थी, उसी तरह की व्यवस्था इसमें भी हो कि जो 153 (बी) के मुताबिक सजा पा जायेगा उसको भी विधान सभा या लोक सभा में या ऐसी जगहों में लोगों का प्रतिनिधित्व करने की इजाजत नहीं होगी और वह भी 6 साल के लिए डिस्कवालीफाई कर दिया जाएगा।

सभापति महोदय, यह कानून इतना आवश्यक था कि लोक सभा ने उस को पास कर के अपना कर्तव्य तो पूरा कर दिया लेकिन उस कानून को सरकार ने अभी तक लागू नहीं किया है। इस तरह नफरत फैलाने या दंगे फिसाद कराने के पीछे क्या उद्देश्य है? ये दंगे फिसाद, जो कभी भाषा के नाम से, कभी धर्म के नाम से, कभी रिजन के नाम से, कभी सूबे के नाम से—इस लिये फैलाये जाते हैं कि वे लोग उस के जरिये ताकत में आने की कोशिश करते हैं। अगर लोक सभा ऐसा कानून बना दे कि वे लोग पाकड

मे नहीं आ सके, उन की डिस्चार्जिफाई कर दिया जाए तो वे लोग आगे नहीं बढ़ सकेंगे और समझ जाएंगे कि ऐसा करने में हमें बड़ा फायदा नहीं है और ऐसा करके हम पावर में नहीं आ सकते हैं ।

सभापति महोदय, ये जो तरकीबें हैं— ये राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिये इन्फेन्सियल की जाती है, इस को सभी सदस्य जानते हैं । परन्तु इस तरह से पावर में आना और इस तरह की हरकतें करना जम्हूरियत के खिलाफ है, देश के खिलाफ है और मैं तो यह कहूँगी कि वह इन्मानियत का भी खिलाफ है । इस लिये हम चीज को रोकने के लिये सब में पहला कदम यह उठाना चाहिये कि ये लोग राजनीतिक सत्ता हासिल न कर सकें । ये लोग राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिये ऐसे काम करते हैं और अगर राजनीतिक सत्ता हासिल नहीं हो पाती है, अगर हार भी जाते हैं तो भी नुकसान करते हैं । हार जाते हैं तो फिर ऐसी हरकतें करते हैं, ऐसे काम करते हैं— जो लोग जनता की राय से, लोकमत से जीत कर जाते हैं, बहुसंख्या में जाते हैं, ये जम्हूरियत के दुश्मन उन लोगों को काम नहीं करने देते और ऐसे तरीके अख्तियार करते हैं जिन से वे लोग काम नहीं कर पाते ।

इन की ज्यादा चर्चा मैं क्या करूँ । पिछली लोक सभा का चुनाव हुआ, एक जमायत जो बहुसंख्या में जीत कर आई तो रोख लोक सभा के इन्टर ये ताते दिये जाने लगे कि भाषकीसंख्या बहुत आ गई है, जैसे कि बहुसंख्या में आजाना कोई बुझू हो गया है, अपराध हो गया है । उस के बाद सारे देश में यह कोशिश की जाती रही—जैसा कि आप ने देखा, भाषाम में भाषा के नाम पर दगे करवाये जा रहे हैं, आंध्र प्रदेश में किसी और बहाने से दगे करवाये जा रहे हैं, बम्बई में चुनाव से पहले भी दगे करवाये और चुनाव

जीत कर आये तो फिर दगे करवाये जा रहे हैं ।

उममानिया यूनीवर्सिटी में जार्ज ग्रेडो को बन्ल कर दिया गया और दुनिया जानती है कि यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कारनामा था, उन की हरकतें थी अलीगढ़ यूनीवर्सिटी में कानून का बहाना लेकर उधम कराने की कोशिश की गई । दिल्ली यूनीवर्सिटी में आपने और हम ने देखा कितने उत्पात मचे कहीं बस हिजैक की गई, किसी का थोड़ा मारा गया, एक दुखिया मजदूर की औरत मर गई । सरकार को मालूम है कि ये उत्पात कौन लाग करत हैं लेकिन फिर भी उनके खिलाफ कार्यवाही न कर—यह मेरी समझ में नहीं आता है ।

सभापति महोदय आप जानते हैं कि बनारस यूनीवर्सिटी की रोज यहा चर्चा होती है लोक सभा के इन्टर भी और बाहर भी, वहा क्या हो रहा है—इस अखबार के एडिटोरियल को देखिये, जो काग्रसी अखबार नहीं है—इस में लिखा है—

'It is no secret that these organisations the RSS, Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad and the Samajwadi Yuvajan Sabha—have been opposing every attempt to ease their stranglehold over the university and making every effort to disrupt its working. They rejected the new constitution for the Students' Union because, it vested effective authority in the general Students' Council rather than in the president and secretary. They prevented city buses from plying within the campus so that students were inconvenienced. They boycotted meetings between student representatives and the authorities including the teachers. They drew up a list of over 30 demands, many of them blatantly unreasonable etc.

[श्रीमती सुभद्रा जोशी]

श्रीग डिमाण्ड भी थी कि जो स्टूडेंट्स फेल हा गये है उन को पास कर देना चाहिये । रूढ़ने का मतलब यह कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक सभ की कार्यवाहियों से, करतूतो से सारी दुनिया बाकिफ है । उन के अपने तरीके हे, अपने प्रखबार है और सारे देश को यह मालूम है कि वे लोग उपद्रव कराने की कोशिश कर रहे है । आंध्र प्रदेश के कन्तो गारत मे जो इनका हाथ रहा उससे भी सरकार काफी परिचित हो चुकी है । सरकार की अपनी रिपोर्टे ने खबरे है कि बहा पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक सभ उधम मचाने के पीछे था । मैं आखबार से महाराष्ट्र की रिपोर्टे आपने सामने रखना चाहती ह जिसमे लिखा है कि किस तरह से जलगाव मे फिर दगे की तैयारी कर चुके है, यह वही जलगाव है जहा दो वरं पहले श्रीरो के साथ एक औरत के चार बच्चो को भी जिन्दा जला दिया गया था । उमी क्लक का टीका हमारे माथे पर लगा हुआ है । इसमे लिखा है कई हजार लाग बहा जाकर जलगाव म एकत्र हो रहे है, मोटिग्य कर रहे है । एक आंध्र दफा और दगे करवा चुके है और फिर दगे की तैयारी मे है । तो चकि सरकार कदम नही उठा रही है और जो कानून पाम किए थे, प्रतिबन्ध लगाने के लिए क पाम करने के बाद भी इन जमाता पर प्रतिबन्ध नही लगा है । इन जमाता पर प्रतिबन्ध न लगाने से ही उनकी जुरंत वढ गई है और दगो पर दगे करवाये जा रहे है । पिछले हफते मे मुझे उत्तर प्रदेश मे गोडा जाने का मौका मिला तो बहा जाकर मैंने देखा कि राष्ट्रीय स्वयं सभ के नाम से इतने खराब खराब पर्चे गाडा और उनके आस पास बाटे जा रह है कि उनको देख कर भला भ्रादमी भी सोचता है कि शायद झगडा करना ही मूनासिब है । इस तरह से बहा भडकाने की कोशिश की जा रही है । गोडा मे तो सरकारी कर्म-चारियों ने दगा रोक दिया लेकिन बहा से धिस

मील दूर पर इन्होंने एक दगा करवा दिया । इसलिए मेरी प्रार्थना है कि ऐसी जमातो पर प्रतिबन्ध लगाना चांणि श्रीर पीपुल्स रिप्रेजेन्टेशन गेक्ट मे सशोधन करने उनको डिस-क्वालिफाई करना चाहिए ।

दूसरे जो प्रतिक्रियावादी लोग है, तरक्की के खिलाफ है, जो देश की उन्नति के खिलाफ है, जो परिवर्तन लाने के खिलाफ है उनकी भी यह कोशिश रहती है, वह भी इन जमातो का इस्तेमान करते है है, पिछले दिनों मे सरकार ने गल्ले के व्यापार को अपने हाथ मे लेने का इरादा किया तो चाहे बम्बई हो, दिल्ली हो या कोई दूसरा शहर हो बहा पर कौन लोग है जोकि आर० एम० एम० को शिव सेना को या मुस्लिम लीग को पैसा देते है और इन जमानो को इन्माल करने की कोशिश करते है । यही प्रतिक्रियावादी लोग है जोकि ऐसा करते है ।

एक बात और है कि पिछले दिनों मे सी आई ए के एजेन्ट्स की बहुत चर्चा हुई और सरकार ने लोगो का चेतावनी दी कि सी आई ए एजेन्ट्स से जनता होशियार रहे । मैं मन्त्री जी का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहती ह कि जो महाबान अमरीका के थे एक हे जीनए कुरेन और दूसरे हे स्केग बैकम-टर । दोना ने किताब लिखी थी । जीन कुरेन जिन्होंने किताब लिखी वह एशिया और अफ्रीका मे सी आई ए के फार्मर हेड थे । फ्रेग बैक्सटर यु० एम० इम्बेनी, नई दिल्ली मे काम करते थे । जब वह यहां थे तब स्टूडेंटो करते रहे जब यहा से चले गए तो उनकी जगह पर शेफर और हैगर्टी साहब आये, वह भी उनकी मदद करते रहे । यह दोनों लोग जनसभ के बारे मे स्टडी कर रहे थे । बैक्सटरसाहब ने जो भी लिखा है उसमे धन्यवाद दिया है उन लोगो को जिन्होंने किताब लिखने में और स्टडी करने मे उनको मदद दी है । उन्होंने कहा है कि जनसभ के तीन व्यक्तियों ने मुझे मदद करने मे अपना काफी समय

व्यतीत किया है । उसमें श्री लाल० के० अडवानी, केयरमैन मेडिपोलिटन कौमिल, श्री बलराज मधोक और श्री जगदीश मायूर, आफिस के सेक्रेटरी वगैरह है । मेरी अर्ज यह है कि देखने की बात यह है कि यह किताबे कब लिखी गई जब कि करन साहब ने स्टडी करके अन्दाज़ा लगाया और मलाह दी कि जनसभ जो है, आर एम एस जो है वह इस तरह से काम नहीं कर सकेगा । श्री किताब उन्होंने लिखी उसको पढ़ा जाये । कुर्रन साहब ने जब किताब लिखी उसके बाद आर एम एस ने जनसभ को जन्म दिया । उसके परिणामस्वरूप जनसभ को पैदायश हुई । जब क्रेग बैकमटर ने किताब लिखी (व्यवधान) तो उन्होंने लिखा है कि जनसभ अकेले नहीं चला पायेगा । जब क्रेग बैकमटर की किताब निकली उसके बाद ग्रान्ड एलायन्स हिन्दुस्तान में हुई । तो मैं आपके जरिये से मंत्री महोदय में अर्ज करना चाहती हू कि होम मिनिस्ट्री की खबरे रखने का तो मेरे पास कोई सबाल नहीं है यह इन्फार्मेशन और यह किताबें तो वहां पर पालिसी बनाती हैं, उनको आर एम एस और दूसरी जमातें यहां पर लागू करती हैं, तो आखिर वह एजेन्सी कौन सी है । अगर एजेन्सी नहीं ले रखी है कि उनके कहने से हिन्दुस्तान को तबाह करवाये तो फिर एजेन्सी और होती क्या है ? यू० एम० ए० ने कोशिश की हिन्दुस्तान के खिलाफ काम करके और पाकिस्तान का साथ देकर कि हिन्दुस्तान की सरकार को दबाया जाये लेकिन सरकार त दबते से इन्कार कर दिया उन्होंने ऐसा वातावरण पैदा कर दिया कि जनता भूखा मर रही है ताकि सरकार को घुटने टेकने पड़े अमीका के मामले लेकिन सरकार ने घुटने नहीं टेके बल्कि सरकार ने कहा कि उनके एजेंट जो यहां पर लोगों को भूखे मारकर ऐसा वातावरण पैदा करना चाहते हैं उसका हम मुकाबला करेंगे उस सरकार ने कहा कि अनाज के व्यापार को हम अपने हाथ में ले लेंगे । फिर उधर क्या हुआ ?

जब सरकार ने यह फैसला किया तो अमरीका के ऊपर से पर्दा हटा और उन्होंने फिर से खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान को हथियार देने शुरू कर दिए ।

तो मैं यह अर्ज करना चाहती हू कि हिन्दुस्तान में यह जो फिर्काप्रस्त जमाते हैं, चाहे वह आर एम एस हो या जमाने इस्लामी हों—यह लोग हिन्दुस्तान में शांति के दुश्मन हैं, यह हिन्दुस्तान की प्रगति के दुश्मन हैं, हिन्दुस्तान की उन्नति के दुश्मन हैं, चाहे यह दुश्मन हिन्दुस्तान से बाहर के हैं या फिर हिन्दुस्तान में उनकी जो एजेन्सी करत है वह लोग हैं । मैं सरकार से अर्ज करूंगी कि एक तो पहले जो बिल पास हुआ था, इसी हाउस में अनाज लो थी जिनमें आपको अखितयार हो कि ऐसी जमातों पर प्रतिबंध लगा सके तो उससे पार्लमेन्ट ने अपना फर्ज पूरा कर दिया था लेकिन सरकार को अपना फर्ज पूरा करना अभी बाकी है । क्या मैं जान सकती हू कि आखिर कोई हिमाब किताब रखा है कि हिन्दुस्तान में कितने लोगों को मरवायेगे जिसके बाद हिमा का खतम करेगे । इसलिए एक तो उसको लागू करे तथा सभी कानूनों का इस्तेमाल करे और जो अमेन्डमेन्ट मैंने आपके सामने रखी वह इम्पीमेन्टेशन का थोड़ा सा एक हिस्सा है ताकि ऐसे लोगों को विधान सभा, मे, लोकसभा में या एमो और जगहा पर आने का अखितयार न हो और यह उनके सामने एक लालच रहे, इसकी तरफ उनका ध्यान जायेगा । जिस तरह से और बातों के लिए डिस-क्वालिफाई किया जाता है उसी तरह से इसके लिए भी डिस-क्वालिफाई किया जाये ताकि यह समझे कि वह लोगों की नमाइन्दगी करने के लायक नहीं है । इसी मतलब से मैंने आपके सामने यह एम्पेन्डमेन्ट पेश की है ।

MR. CHAIRMAN. Motion moved.

"That the Bill further to amend the Representation of the People

[Mr. Chairman]
Act, 1951, be taken into consideration."

There is one amendment by Shri Daga. Is he moving it?

SHRI M. C. DAGA (Pali): Yes I beg to move:

"That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 3rd October, 1973."(1)

SHRI S. P. BHATTACHARYYA (Uluberia): Mr. Chairman, Sir, I fully support the spirit of the mover of this Bill about ending hatred among the people. The communal spirit should be curbed. But I think the method she has adopted, namely, amendment of the Representation of the People Act, is not fair. What I feel is that these things are going in in our country for quite some time and it is only democratic sense in the people that will save this country from this problem.

Only those laws should be enacted which can be implemented. In spite of the existence of various laws, we have seen during the last few years that so many people belonging to the Scheduled Castes and Tribes have been tortured or killed. But nothing has been done. I had been to Rupaspur village in Purnia district. There, the houses of Scheduled Caste peasants have been burnt. Yet, nothing has been done there. Only by changing some Act, do you think that you can save this country from these inhuman feelings and ideas? It is not possible. It will be, in the present situation, taken otherwise, because police, in general, does not help the healthy development of the people's forces. They utilise the sections only to suppress the forces which are against the ruling Party or against the interests of the ruling party. They do not utilise the Acts for the interest of the people in general or for the defence of democracy in general, but they utilise the Acts only to help the ruling party which

they think is favourable. I will give an example, the example of the peasant leader, Shri Binal Konar of Burdwan district. There was a murder. But no FIR was given against him. After a few months, Shri Binal Konar was suspected to be linked with the murder and he is put in the jail. Everyone knows that it is a false case. But the Police has the power to put him in the jail and still he is rotting in the jail. We know that it is false. Therefore, we cannot think of police in West Bengal acting for the good of the people.

Last year, Mrs. Geeta Chatterjee met our Prime Minister. She was tortured and molested, her husband was killed. The police knew the guilty persons, but they have not been arrested. Do you think that the police will help to consolidate our democratic strength, to make the atmosphere healthy? Never. Only a strong democratic sense can save our country from these corrupt things and that should be developed. It cannot be done by enactment. I support the spirit of the Bill that these bad things must go out of the country and the enemies of our country must not taken the opportunity to disrupt the unity of our country. But amendment of the Act is not the way to do that. The only way by which it can be achieved is by strengthening the consciousness and democratic sense of the people. Therefore, I oppose the Bill, in spite of my supporting the spirit.

श्री शशि भूषण (दक्षिण दिल्ली) :
मान्यवर, मैं इस बिल का हार्दिक समर्थन करता हूँ क्योंकि इस बिल की जो प्रेषक हैं उन्होंने रात के इतिहास में सामप्रदायवाद के खिलाफ अपना जीवन योग दिया है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि हमारी जमात जिम्मेदार है कि हम ने सामप्रदायिकता को जितनी सक्ती के साथ खत्म करना चाहिए था, नहीं किया। मुझे भारत में सामप्रदायिक सत्ताओं से उग के जो सामप्रदायिक सैनिक

यह हैं उनसे उतनी शिक्षावत् नहीं है, जितनी अपने लोगों से निकालत है कि उन्होंने इनको वक्त पर नहीं दबाया और आज भी वक्त आ गया है कि उन लोगो को जो राष्ट्र हितो के खिलाफ फिरकापरस्ती का काम करते है, लोगो से नफरत फैलाते है उन्हें सखी से दमया जाए।

कुछ धार्मिक साम्प्रदायिक जमाते धर्म के नाम पर सुबह शाम परेड करती हैं। उनके इतिहास को बेखा जाए तो कभी वह अंग्रेजो की चौकीदारी करते रहे अंग्रेज शासन में हिन्दुओ को विदेशी सेना में भर्ती कराने रहे और उस वक्त की जो मन्डिम साम्प्रदायिक सस्थाये भी वह अंग्रेजो की मदद करते रहे, उनकी चौकीदारी करते रहे। देश आजाद हुआ तो उसकी आजादी में हिस्सा नहीं लिया तो कम से कम देश के निर्माण में ही हाथ बटाने। लेकिन वह भी नहीं किया। पता लगा कि राजा, महाराजाओ की चौकीदारी कर रहे हैं। राजा, महाराजाओ को बचाने के लिए यह हिन्दू मिलिट्री आगताइजेशन ने किसानो को मारा गरीबो को मारा, लेकिन राजा नहीं बचे। इत्फाक की बात है कि ऐसी अस्मासुर जमात है कि किसका साथ देती है उसी का बंडा गरक हो जाता है। अंग्रेजो का बडा गरक किमा, राजाओ और बडे जमीन्दासे का बडा गरक किमा उनका साथ देकर।

15 57 hrs

[SHRI S A KADEB in the Chair]

अभी परसो की बात है दिल्ली में अनाज के व्यापार को सरकार ने अपने हाथ में लिया, यह तक सामाजिक क्रान्ति है, उसको सेने के सबब से भारत के तमाम ब्लैक मार्केटियर्स ने बहुत बडी हड़ताल की। जलो ठीक है, लेकिन उस हड़ताल में यही अनाज जो सुबह परेड करती

है नेकर पहन कर, उसने दिल्ली के दो प्रमुख नेता है, कारपोरेशन के सदस्य हैं, श्री बृजन्द जैन और श्री जे० पी० नाथल

सभापति महोदय आप नाम क्यो लेते हैं। श्री शशि भूषण उनके घरों के आगे इस जमात के लोगो ने 700, 800 की ताबाद में प्रदर्शन किया। वह लोग पटियाला गए हुए थे उनके घर वालो को गालिया दी और बहुत गलत व्यवहार किया। आज मुनाफा-खोरो की रक्षा के लिए यह मिलिटेट हिन्दू आगताइजेशन जो लोग सामाजिक क्रान्ति चाहते है उनके घरों के ऊपर हमला करनी है। वह जो कुछ भी करने है किमी की रक्षा और किसी क इशारे पर करते है।

पिछले दिनों जब बंगला देश में हमारे देश की जनता ने शोदा सा हिस्सा लिया और हमारा फज का उसके सबब से हमारे पडास में चीन एन बडा राष्ट्र है, उसके प्रधान-मन्त्री चाऊ-एन-लाई ने कहा कि अगर बांगला देश में हिस्सा लोगे तो आप अपने देश में उसा आग में जलांग। और अमरीका के राष्ट्रपति ने भी वही कहा। अब उन्होंने वहा शायद खामोश हो गये। लेकिन जो तुरन्त ही हिन्दुस्तान में अखड भारत का नारा देते थे वही आज खड खड भारत का नारा देने लगे।

श्री आर० बी० बडे (खानगोन)
माननीय अटल जी ने कहा हमारी नेता इंदिरा गांधी है।

श्री शशि भूषण मेने तो जनसभ या आर० एस० एस० का नाम नहीं लिया। पंडित जी पता नहीं क्यो चिड गये। अखड भारत से खड खड का नारा हुआ लददाख अलग हो जाए, कश्मीर अलग हो जाए, पंजाब हरियाणा देशभक्त को जलाकर अलग किया गया। उसके बाद दू० पी०, बिहार के हिस्से किए जाएँ ऐसी मांग भी उठ रही है। श्री बलराज मधोक जनसभ को

[श्री शशि भूषण]

फासिस्ट पार्टी कहते हैं। पता नहीं कौन फासिस्ट है। आज भ्रान्ध को बाटने की बात कह रहे हैं। जो सी० आई० ए० और चाइनीज इटलीजिस मिल कर काम कर रहे हैं इनसे सावधान रहना चाहिए। चूँकि निकसन साहब चाइना गए तो उन्हीं का साथ देने लगे। तो जब बड़ा साम्राज्यवादी देश किसी दूसरे के साथ देने लगता है तो उनके साथ मिलकर परेड करने लगते हैं। लेकिन जो जनता के हितों की चीज है उनके लिए जब पार्लियामेंट में कोई आन्दोलन होता है उसका यह लोग विरोध करते हैं। चाहे बैंक राष्ट्रीयकरण का मसला हो चाहे कोई और जनहित की बात हो यह जो भी स्थित राष्ट्रवादी चौकीदार है, साम्प्रदायिकों के चौकीदार हैं, साम्राज्यवादियों के चौकीदार हैं, राजाओं के, जागीरदारों के और मुनाफाखोरो के तथा विदेशी सरमायदारों के चौकीदार हैं यह सुबह में शाम परेड करते हैं।

इनको तीस माल परेड करते हो गए हैं। लेकिन कभी इन्होंने गरीब जतना की बात सामने नहीं रखी है। ये हिन्दू मुसलमानों का गला काटेगे, हिन्दू सिखों का काटेगे, जहाँ भी साम्प्रदायिकता होगी वहाँ उसका पूरा पूरा लाभ उठाएंगे। आप क्यों इस तरह की चीजों को बरदाश्त करते हैं? अगर एस एस से मुझे कोई शिकायत नहीं है। गोलवलकर जी से कोई शिकायत नहीं है, बडे जी से कोई शिकायत नहीं है। हमको शिकायत अपनी जमायत से है जो भारत की तरक्की पमन्द ताकतो से है क्योंकि हमने इनको आज तक क्यों बरदाश्त किया है? हमें शिकायत अपने आप से है। हमारे नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू एक प्रजातांत्रिक व्यक्ति थे। उन्होंने इनको बहुत मौका दिया कि किसी तरह ये अपने आपको सम्भाल लें लेकिन ये हमेशा देश में आग जलाते रहे हैं गांधी को मारने से लेकर आज तक

इस तरह की घटनाओं से इतिहास भरा पड़ा है। देश के किसी भी कार्य में इन्होंने भयद नहीं की है। हिन्दू पारसी को लडा दिया, हिन्दू सिख को लडा दिया। कोई जमायत नहीं छोड़ी। मुझे खुशी है कि जमायत इस्लामी कहती है कि जनसंघ हिन्दू मुस्लिम फिमाद नहीं कराता और जनसंघ कहता है कि जमायत इस्लामी फिमाद नहीं कराती। तब फिर फिसाद आसमान से होते हैं। दोनों मिलकर एक दूसरे को शांति सर्टिफिकेट दे रहे हैं। इनके आका कौन है? अंग्रेजी जमाने में भी यह दोनों फिसाद कराते थे और एक ही घर में रात का आपस में मिल जुल कर बैठते थे। खरबूजा छुरी पर गिरे या छुरी खरबूजे पर गिरे बात एक ही है। दोनों एक दूसरे की तारीफ करे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। है यह चीज कम्युनल।

16.00 hrs.

पिछने विनो मध्य प्रदेश में आठ जनसंघी एमएलएज को जिन में फिलहाल राज्य सभा के मंत्री सकलेजा भी थे, डिस्क्वालीफाई किया गया इस वास्ते कि ये पर्चे बाट रहे थे कि कांग्रेस गाय कटवाती है। इसके बाद वह राज्य सभा में आ गए। इतना होने पर भी अगर कोई राज्य सभा में आ सकता है। पीपुल्स रिप्रिजेंटेशन में मैं चाहूंगा कि इस बात के लिए सच्चा होनी चाहिए कि जो कम्युनल एक्ट करता है या करवाता है उसको चुनाव में खड़े होने का अधिकार नहीं होगा, तब तक इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाना कठिन होगा।

मैं चाहता हूँ कि देश रक्षा के लिए चाहे ये कुछ करे या न करे लेकिन कम से कम ये सेक्युलर तो रहें। फिर जो कुछ ये करना चाहते हैं करते रहें। सेक्युलर रहेंगे तो इनका इमेज अच्छा रहेगा। जनसंघ के जिन लोगो को डिस्क्वालीफाई किया गया इस वास्ते

कि कहीं कहते थे कि गाय काट रहे हैं, कहीं फोटो लगा रहे थे तथा इस तरह के घृणित कार्य कर रहे थे, वे लोग भी जीत कर आ गए हैं, राज्य सभा से आ गए हैं। इस वास्ते मैं समझता हू कि एकट में तबदीली लाना बहुत जरूरी है। सरकारको चाहिए कि वह पुराने तजुबों से फायदा उठाकर एमेडमेंट नाए, ताकि जो लोग देश में साम्प्रदायिकता फैलाने हे वे दोबारा इलेक्शन के लिए खड़े न हो सकें।

ये सुबह में शाम तक पैरेड ही नहीं करते हैं। ये हम ताक में भी रहते हैं कि कहीं सरकार कोई तरहकी का गम्ता निकले तो उसको बन्द करने की किम तरह से कोशिश की जाए। देश भर में जो ब्लैकमार्किटियर्स हैं, जो होर्डेज हैं राजा महाराजा थे उनसे ये मत्प्राग्रह कराने हैं। हम तो पाच साल जेल में रहे अंग्रेजों के जमाने में लेकिन हमने किसी ने भी फूल की माला तक नहीं पहनाई। लेकिन ये क्या करते हैं? सुबह सरमायेदारों को लाने हैं, उनका फूल मालाए पहनाते हैं, उनका आदर मतकार करते हैं, उनको जेल भिजवा देते हैं और शाम को दूध पीकर वे लोग बाहर आ जाते हैं। देश में सरमायेदार मत्प्राग्रह करे, ब्लैकमार्किटियर्स और होर्डेज मत्प्राग्रह करे तो हम और आप क्या करोगे? हम देखना चाहिए कि इस सब के पीछे भावना क्या है? मैं सरकार से पूछना चाहता हू कि क्यों नहीं सरकार इस तरह के सत्प्राग्रह के डोग को खत्म करती है। जब मत्प्राग्रह करगते हैं तो फूल मालाए पहनाते हैं, तिलक कराते हैं और ऐसे सब काम करते हैं जैसे उनको फासी लगने जा रही हो। अटल जी को भगवान बड़ी उम्र दे। वह भी सुबह गए और शाम को आ गए। मैं चाहूंगा कि सत्प्राग्रह के इस डोग को खत्म किया जाए। अगर कोई सत्प्राग्रह करता

है तो उसको कम से कम दो तीन महीने के लिए आपको जेल भेजना चाहिए। अगर आपने ऐसा किया तो ये मत्प्राग्रह करने का नाम नहीं लेंगे।

आजादी की लड़ाई चल रही थी उम वक्त वे अंग्रेजों की चौकीदारी कर रहे थे पैरेड कर रहे थे। अब यह डोग क्यों? मैं चाहता हू कि जो—डोगी लोग मत्प्राग्रह करने आए, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि आराम से कोई काम तो चल सके।

जो मूनाफाखोरी ब्लैकमार्किटिंग करने आ रहे हैं और जो मुवह जडा उठाकर मत्प्राग्रह करने हैं और पकड़े जाते हैं और शर्म को छूट कर आ जाते हैं, उनमें से अगर कोई लोग चुनकर आ जाते हैं तो हम चाहते हैं उनके बारे में आपको मोचना होगा। देश की आजादी के लिए मत्प्राग्रह के निम पवित्र हथियार को अपनाया गया था उसको किसी को खराब करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। जो राष्ट्रीय आन्दोलन था उन्में इन लोगों का क्या रोल था, सब लोग जानते हैं।

नाम यह भी जानते हैं कि इनको चन्दा कैसे मिलता है। गुप्त दक्षिणा के नाम पर जितना ब्लैक का पैसा है यह सब इकट्ठा कर लेते हैं। उसकी आन तक कोई जान नहीं की गई है। इनका टैक्स, सेना टैक्स वाले पता नहीं क्या करते हैं। सब जानते हैं कि कहाँ से पैसा आ रहा है लेकिन कभी इनको हाथ नहीं लगाया जाता। छोट छोट और गरीब लक्ष्मी बॉ आर्टिस्टों को पकड़ लिया जाता है। दो तीन करोड़ रुपया साल का प्राफिट इनके नेताओं को चाहें लोहे का लाइसेंस बेचकर होता हो, उन पर हाथ नहीं डाला जाता है। जो कम्युनल है उनको सरकार से कोई लाइसेंस भी नहीं मिलना चाहिए और जो मिले हुए है उनको जब्त कर लेना चाहिए क्योंकि

[श्री शशि भूषण]

वे लोग अराष्ट्रीय हैं। इनको व्यापार करने की इजाजत तो आप दें। लेकिन जिस दिन आप सख्ती करनी शुरू कर देंगे आप देखेंगे कि आधे से ज्यादा लोग जो पैसा देने वाले हैं, जो पैसा देने वाली ताकतें हैं, वे निकल जाएंगी।

बाहर से जो इनके पास पैसा आता है उसको रोकने के लिए भी सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। कम से कम दस पन्द्रह करोड़ सालाना आता होगा। हिन्दुस्तान में आर एस एस के पास 60 करोड़ के लगभग है। उसकी आप जांच करें। वह रुपया चाहे गुरु दक्षिणा से लिया गया हो या किसी और तरीके से, उसकी जांच होनी चाहिए। जमायते इस्लामी देश भर में जो रुपया बांटती है, उसकी जांच होनी चाहिए ताकि देश में कम से कम कम्युनल रायट्स तो न हों सोशललिज्म विरोधी या पूंजीपति वादी जो ताकतें हैं उन से हम निपट लेंगे। साम्प्रदायिक लोगों से हमें सबसे ज्यादा देश का अहित नजर आता है। इसको रोकने के लिए होम मिनिस्टर ज्यादा तेजी से काम करें। देश की जनता ने हमें प्रबल बहुमत दिया है। हम क्यों नहीं इन पर बैन लगाते हैं, क्यों नहीं इनकी गतिविधियों को बन्द किया जाता है। सरकार को मैं इस बारे में सतर्क करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि जितनी जल्दी वह यह शुभ काम करेगी उतना ही ज्यादा अच्छा होगा।

श्री एम० सत्यनारायण राव (करीमनगर) : समापति महोदय, श्रीमती सुभद्रा जोशी ने जो बिल पेश किया है, उसके आब-जेक्टिव, उद्देश्य, से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। लेकिन उन्होंने अपने बिल में ड्रिल और एक्सरसाइज को प्राविविटि करने के लिए जो प्राविजन इनकार्पोरेट किया है, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। हम जानते हैं कि आज हमारे देश में बच्चों के लिए ड्रिल या एक्सरसाइज की कोई व्यवस्था

नहीं है। मुझसे पहले, और मेरे बचपन में भी, कुछ एक्सरसाइज कराई जाती थी, लेकिन आजकल तो स्कूलों और कालेजों में हाकी, फुटबाल, वालीबाल या किसी एक्सरसाइज का कोई इन्तजाम नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि एक्सरसाइज और ड्रिल से कोई नुकसान नहीं होगा। कम्युनल आर्गनाइजेशन जो कम्युनल एक्टिविटीज में इनडल्ज कर रही हैं, उनको प्राविविट किया जाए और उसके लिए स्पेसिफिक प्राविजन लाकर पनिश्मेंट रखी जाए। लेकिन ड्रिल या एक्सरसाइज को मना करने के कोई माने नहीं हैं और इसलिए मैं इस बात को अपोज कर रहा हूँ।

श्री शशि भूषण ने कहा है कि ये लोग रिजनलिज्म के आन्दोलनों में भी भाग लेने लग गए हैं। यह देखना चाहिए कि रिजनलिज्म क्यों आ रहा है। चूँकि आप लोग इन प्राबलम्स को साल्व नहीं कर रहे हैं, इसलिए वे इसका फायदा उठा रहे हैं। जब श्री शशि भूषण जैसे प्राग्रेसिव इम्मेज वाले लोग जनता की मांगों का समर्थन नहीं करेंगे तो फिर जनता जनसंघ और स्वतन्त्र पार्टी वालों के पास जाएगी। जनता उन लोगों के पास जाएगी, जो उसकी फ्रीलिग्ज को सपोर्ट करते हैं। आपको लोगों की फ्रीलिग्ज को समझना चाहिए। यहां आलोचना करने का कोई फायदा नहीं है। इससे आपको नुकसान होगा और आपकी पार्टी बिल्कुल फ्रिनिश हो जाएगी। आप तो यह सोच कर मुत मईन हो जाएंगे कि हम रिजनलिज्म को कनडेम कर रहे हैं, लेकिन उससे कुछ फायदा न होगा। अगर आप बेसिक प्राबलम्स को समझें और उसको हल करने की कोशिश करें, तो अच्छा होगा।

मैं ज्यादा समय न लेते हुए श्रीमती सुभद्रा जोशी से रिक्वेक्ट करूंगा कि वह इस बिल पर जोर न दें। इस बिल को यहां लाने का यह फायदा हुआ है कि उनका जो

आवर्जित है, वह लोकसभा के सामने आ गया है।

मुझे मौका देने के लिए मैं आप का शुक्रिया अदा करता हूँ।

श्री एम० रामगोपाल रङ्गु (निजामाबाद) सभापति महोदय, मैं अपने सीनियर मेम्बर, श्री शशि भूषण के खयालात से इतिफाक करता हूँ। लेकिन मैं उन की एक बात से इखलाफ करता हूँ। उन्होंने कहा है कि श्री रंगा और श्री ममानी हमारे माननीय सदस्य, श्री पीलू मोदी, से अच्छे थे। मैं इस को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि श्री पीलू मोदी उन दोनों से लाख दर्जा अच्छे हैं और मैं चाहना हूँ कि वह सारी उम्र लोक सभा में रहे। वह लोक सभा के लिए एक एसेट है। मैं श्री शशि भूषण से दरखवास्त करूँगा कि कांग्रेस की तरफ से श्री पीलू मोदी के खिलाफ कोई कैंडीडेट न खड़ा किया जाये।

हिन्दुस्तान में कभी भी साम्प्रदायिकता नहीं रही है, चाहे वह अशोक और अकबर का जमाना हो, चाहे 1857 में शायी की रानी लक्ष्मीबाई का जमाना हो और चाहे जवाहरलाल नेहरू का जमाना हो। लेकिन वक्त वक्त पर कुछ खूदगर्ज लोग हमारे मुल्क में इस किस्म के खयालात फैलाते रहे हैं, जिस का हम सब को रज है? हमारे मुल्क का बटवारा मजहब और धर्म के नाम पर हुआ। लेकिन आज भी हमारे मुल्क में कुछ सियासी पार्टियाँ मजहब के नाम पर काम की जा रही हैं। अगर अलग अलग पार्टियाँ इकानोमिक पालिसीज और प्रोग्रामों को ले कर काम करें और उन में काम्पैटीशन रहे, तो इस पर किसी को एतराज नहीं हो सकती है। लेकिन बदकिस्मती से आज भी कुछ लोग पुराने खयालसत के मुताबिक

सोचते और काम करते हैं। मुस्लिम लीग आज भी कायम है। वह पाकिस्तान में खत्म हो गई है, लेकिन हिन्दुस्तान में खत्म नहीं हुई है। इसी तरह जमाते इस्लामी भी अभी तक कायम है।

मैं मुस्लिम लीग के लोगो से अपेक्षा करूँगा कि अगर वह अपना नाम बदल ल, तो यह मुल्क के लिए भी अच्छा होगा और उन के लिए भी अच्छा होगा। इस नाम से लोगो के सामने पुराने वाक्यात आ जाते हैं। यह ठीक है कि उन्होंने बम्बई में कुछ सीटें हासिल कर ली हैं लेकिन यह हमेशा नहीं होने वाला है। उन्हें मुल्क की पोलिटिकल लाइफ के स्ट्रीम में मिल जाना चाहिए।

SHRI C H MOHAMMED KOYA
(Manjeri) Jan Sangh is a good name!

श्री एम० रामगोपाल रङ्गु मुस्लिम लीग के मुकाबले में हिन्दू महासभा थी। उ। जमाने में हिन्दुस्तान में गडबड करने वाली थे 31 पार्टिया थी। हिन्दू महासभा का नामो-निशा ता श्री शशिभूषण जैसे लोगो ने मिटा दिया है। अगर जनसभ मजहब और साम्प्रदायिकता के नाम पर वोट मागने के लिए निकलेगा, तो उस का नाम भी मिटाया जायेगा।

मैं श्रीमती सुभद्रा जांशी की इस बात से इतिफाक नहीं करता हूँ कि कम्युनल पार्टीज को बँन कर दिया जाये। क्या कम्युनल पार्टीज से हम सँकुलर पार्टीज नहीं लड सकती हैं? जनसभ को मने हराया है और उसके उम्मीदवार की डिपॉजिट को जब्न कराया है। 1972 के इलैक्शन में जनसभ का एक कैंडीडेट भी नहीं जीता है। कम्युनल पार्टियों से लडने के लिए कांग्रेस के पास काफी ताकत है। उन को इधर-उधर जो धोड़ी बहुत कामयाबी मिल रही है, वह बहुत जल्द खत्म हो जायेगी। लोग देखेंगे कि किस पार्टी का इकानोमिक प्रोग्राम अच्छा है और किस पार्टी में उत

[श्री एम० राजगोपाल रेडडी]

प्रोग्राम पर झल करने की शक्ति और नेकीनीयता भी है या नहीं।

हमारी पब्लिक बहुत होशियार और समझदार है। वह जानती है कि किस पार्टी को वोट देना चाहिए और किस को नहीं देना चाहिए, किस पार्टी पर भरोसा करना चाहिए और किस पर नहीं करना चाहिए। डेमोक्रेसी में फ्रीडम है और इस लिए डेमोक्रेसी में किसी को बंद करना ठीक नहीं समझता है। मुस्लिम लीग रहे, जनसघ रहे, आर० एस० एस० रहे कोई भी पार्टी रहे, हमें कोई डर नहीं है। हम बास्ते कि आध्र एक मिलना कायम कर चुका है जहां कि कोई भी कम्युनल पार्टी नफल नहीं हो सकती। छुटपुट कुछ लोग बम्बई म्यूनिसिपैलिटी में जीत गए हैं। ऐसे ही पुराने हैदराबाद में कुछ लोग जीत रहे हैं—(व्यवधान)। मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं लोग वालों में यह कह रहा हूँ कि आप की पार्टी को बंद करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। आप खल कर आ-ए। हम आप में लड़ने के लिए तैयार हैं। उसी तरह मैं जन मध से कह रहा हूँ क्योंकि किसी के ऊपर पाबन्दी लगाकर उससे लड़ना हम अच्छा नहीं समझते (व्यवधान) यह मैं कहा रहा हूँ कि जितनी सैक्युलर पार्टीज हैं, सी पी आई के काग्रेंस हैं, जो सैक्युलर व्यूज रखती हैं उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी आ जाती है क्योंकि कम्युनल पार्टीज के खिलाफ अपने आइडियोलोजी को ले कर फाइट करना चाहिये और उसके लिए मासिस को तैयार करना चाहिये और मासिस तैयार हो गए हैं। आज कोई भी आदमी हिन्दू मुसलमान के नजरिये से सोचने के लिए देश में तैयार नहीं है। आज देश का आदमी यह सोचने लगा है कि आया यह पैसे वाला है, अपने पैसे से यह गरीबों को लूटता है या किस तरह से अपने पैसे को

इस्तेमाल करता है? मुल्क के बास्ते क्या गद्दारी करता है? अपने मुल्क के सीक्रेट्स को क्या दूसरे मुल्कों तक पहुँचाता है? इस तरह की बात देश का आदमी सोचने और समझने लग गया है और यह बुश-किस्मती की बात है कि हिन्दुस्तान का आदमी होशियार हो गया है। आइन्दा से मजहब और धर्म के नाम पर चलने वाले लोगों का कुछ बधा नहीं चलेगा। मुल्क में जितने भी धर्मों के लोग हैं। बसब मिल कर आपस में एक कुनब की तरह से रह कर अपनी जिन्दगी बिताएंगे, अपने देश का नाम बहुत रोशन करेंगे और उसे और ऊँचा ले जाएंगे।

SHRI B R SHUKLA (Bahraich):
At the outset I extend my congratulations to Shrimati Subhadra Joshi for introducing such an amendment before this House. Perhaps hon Members have not carefully appreciated the limited purpose of this Bill. In 1972 this House passed a Bill known as the Criminal Law Amendment Bill. According to the provisions of that Act, certain type of activities indulged in by certain persons or group of persons had been banned and they were made punishable under the Indian Penal Code. All these activities which have been made penal are incorporated in section 153(B) which has been added to the Indian Penal Code.

Now, it is said that the communal organisation has probably been banned or a certain caste organisation has been banned or certain linguistic activities have been banned. My humble submission to the hon Members would be that these interpretations are not borne out by a reading of Section 153(b). In a democracy the people have a right to propagate their views, their own philosophy, their own culture etc. But, when there are activities which are sought to be carried out in the name of religion, race or

language which create hatred or disharmony or animosity between different religious groups, racial groups or linguistic groups or which tend to create communal or racial or linguistic disharmony and violence in this country, then certainly, such activities fall within the mischief of Section 153(b). So, such persons, who indulge in such activities irrespective of their affiliations, should be punished. In fact, punishment has been provided therefor in the Act.

I am not discussing the merit of that Bill here as that has already been adopted. Whatever may be the quantum of punishment or the nature of punishment, that is not very much germane to the discussion of the present Bill. The question is no longer whether such activities have or have not been made penal. Now, the simple question which arises by way of a natural corollary is this: Those persons who would be punished have been proved to have committed the offence under Section 153(o). They should incur the disqualification for being chosen as a Member of the Legislature or Parliament. I think the House should unanimously accept this amendment because nobody would say that a person who has been proved to be a ring leader and who has been punished because he has been responsible for wide-spread communal, racial or linguistic trouble in this country, should be allowed to occupy the benches of this august House. I think if a dacoit or a thief or a black-marketeer who has indulged in certain criminal activities, for his own individual gains, is disqualified, why should a man who is responsible for the destruction of public property worth crores of rupees and who is responsible for the blood-shed of thousands of innocent lives in the country be given the honour of being a Member of Legislature or Member of Parliament? I think that no group or no party in this House would have the guts to defend such persons here. Therefore, my submission is this: Shri Sakyanarayan Rao also said something regarding this because his memory is

still fresh with what is going in his own State. But his fears are unfounded. This has nothing to do with the punishment of persons indulging in peaceful activities for bifurcation of the State or for wanting to have one State. But if they are committing violence in the name of religion, culture or language and in league with the reactionary forces in this country and want to block the progress of the country, then they should not be allowed to do that.

Recently we witnessed some linguistic riots in Assam. The whole of Assam State was rocked by shameful and terrible riots. We also saw happening in Andhra Pradesh. Apparently the leaders of public opinion occupying seats in the responsible Houses of Parliament and legislatures are the victims of mob fury. They think that in case they raise their voice of reason against these shameless activities in this region, probably they would not be elected to these Houses and therefore they also succumb to the temptation of these very forces about which they have no words of praise. The persons who have been convicted under section 153B are likely to become heroes and come with added majority in the legislatures if this Bill is not passed. Therefore, it is necessary that after having been convicted under section 153B, they should further be disqualified for a certain period to contest the elections to the State legislatures and Parliament.

With these words I support the Bill *in toto* and I would appeal to the Government that it should be accepted as a very timely measure in this country.

श्री इ. हीम सुल्तान सेंट (कोजीकोड)
चैयर्मेन माहव यहा पर एक निहायत ही
ग्रहम बिल आपने मामने मोहतरिमा सुभद्रा
जोशी साहिबा ने पेश किया है। जैसा कि
मुझसे पेशानर तकरीर करने वाले मेरे दोस्त
ने कहा—इस बिल का मकसद निहायत ही

(श्री इनाहीम तुलेमान सेंट)

महदूद है, एक महदूद मकसद के लिये इस बिल को यहा पेश किया गया है। लेकिन जहा तक मैं देखता हूँ, इसको बहस के दौरान उलझा दिया गया, खास कर मेरे मोहतरिम दोस्त रेड्डी साहब ने कुछ ऐसी गैरजरूरी बातें यहा पर कही हैं, जिसकी वजह से यह मकसद फौत हो गया है और ज्यादा उलझाव बहस में पैदा हो गया है। यहा पर साफ तौर पर यह कहा गया है कि पाबन्दी उन लोगों पर लगनी चाहिए जो मिलिट्री ट्रेनिंग देते हैं, जो ड्रिल करते हैं और इस तरह से फिसाद का बाइस बनते हैं, मुल्क में फिसाद बरपा करते हैं, खू-रेजी करते हैं, लोगों को कत्ल करते हैं। ऐसे अशखाम जो वाकई मुल्क के दुश्मन हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए यह बिल लाया गया है।

जहा तक इमका ताल्लुक है, हम इसको पूरा सपोर्ट देंगे क्योंकि हम देखते हैं कि इस मुल्क में ऐसे फिरकापरस्त आदमी मौजूद हैं जो अपने लोगों को, अपने नौजवानों को मिलिट्री ट्रेनिंग देते हैं, लाठी चलाना सिखाते हैं, चाकू चलाना सिखाते हैं, तलवार चलाना सिखाते हैं, न मालम किमके खिलाफ ऐसा करते हैं। जहा तक हमारी फौजों का ताल्लुक है, हमारी फौजे बहुत ताकतवर फौजे हैं, उन्होंने चाइना को शिकस्त दी है, वे इतना बहादुर हैं कि हम उन पर एनमाद कर सकत हैं। लेकिन हम देखते हैं कि आर० एम० एम० के नाम पर मिलिट्री की ट्रेनिंग दी जाती है, लाठी चलाना सिखाया जाता है, तलवार चलाना सिखाया जाता है—यह गलत तरीका है, यह ऐसा तरीका है जो लोगों में नफरत पैदा करता है, किसी खास फिरके के खिलाफ नफरत पैदा करता है, लोगों के दिलों को जोड़ने के बजाय उसको तोड़ने की कोशिश करता है। इसके लिए अगर इकदामात उठाये जाये तो गलत नहीं होगा। इस मुल्क के अन्दर

हिन्दू-मुसलमान, सिख-ईसाई सब भाई-भाई की तरह से रहें, हमारे मुल्क की तरक्की के लिए कोशा हो तो हम पूरी तरह से उनके साथ हैं। लेकिन कभी-कभी गलत बातें कह बी जाती हैं—जैसा रेड्डी साहब ने कह दिया कि मुस्लिम लीग ने क्या किया? मुस्लिम लीग फिरकापरस्त तनखीम नहीं है, उसके पास मिलिट्री आर्गैनिजेशन नहीं है, वह तलवार चलाना नहीं सिखाती, वह बन्दूक चलाना नहीं सिखाती, लाठी चलाना नहीं सिखाती, बल्कि मुस्लिम लीग जहा जरूरत पडती है, आपकी मदद करती है, वहा पर मस्तहकम हुकूमत कायम करने में मदद करती है, और इसकी मिसाल मौजूद है। अगर इसको कोई फिरकापरस्त जमायत कहे तो हम मानने के लिये तैयार नहीं हैं। हिन्दुस्तान का दस्तूर जम्हूरियत का दस्तूर है। यहा पर मुस्लिम मजहबों को मानन वाले लोग हैं उन के खास मुस्लिम कल्चर वाले लोग हैं, उनके खास नजरियात है, उन की खास पालिसीज हैं, जिनको पेश किया जाता है और अपनी इकाई की, संवधान आफ पापुलेशन की इन्डिजिजुएल्टी को कायम रखन के हक में है। हम अपनी-कल्चर की प्रोटेक्शन चाहते हैं, अपनी वैल्यज-इन-लाइफ का कायम रखना चाहते हैं।

हालाकि यहा पर मुस्लिम व्यवहार के मानने वाले लोग हैं मुस्लिम कल्चर को मानने वाले लोग हैं, मुस्लिम तहजीबों में यकीन रखन वाल लोग हैं, मुस्लिम जबानों को बोलन वाले लोग हैं, लेकिन इन तमाम को अपनी जगह बराबर तरक्की का मौका मिलना चाहिये। इसके बाद जहा तक मुल्क की तरक्की का सवाल है हम साथ मिल कर कोशिश करें, इत्हाद करें। लेकिन कभी-कभी गलत बातें कह कर चीजों को उलझाने की कोशिश करना मुनासिब बात नहीं है।

जहा तक मैं समझना हूँ—मोहतरमा सुभद्रा जोशी जी ने मुस्लिम लीग का जिक्र नहीं किया, क्योंकि वह जानती थी कि हमारी

तनजीन ने कोई मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं होती, तलवार चलाना नहीं सिखाया जाता, लाठी चलाना, बन्दूक चलाना नहीं सिखाया जाता। जिन मेम्बरान ने इस बिल की हिमायत की है, किसी ने भी हमारे खिलाफ कुछ नहीं कहा, लेकिन रेड्डी साहब ने मालूम नहीं क्यों उलझा दिया।

जितनी तकरीरे हुई हैं, सब ने यही कहा कि इस बिल का मकसद महदूद है, इसके जरिये किसी पार्टी को बँट करने का सवाल नहीं है, इस लिये खामखाह उलझा देना, टकराव पैदा करना अच्छी बात नहीं है। जहा अच्छी फिजा पैदा होती है, लोग इतमिनान के साथ चिन्दगी गुजारना चाहते हैं, बह्ना इस विस्म की बाते कहना कौमी इन्टेरेस्ट मे नहीं है और ऐसी बातो की हमे मुखालफत करनी चाहिये।

कोई बिल अगर किसी नेक-मकसद के लिये आता है तो हमें जरूर उसको सपोर्ट करना चाहिये, लेकिन अगर उमका गलत इस्तेमाल किया जायेगा तो हम जरूर उस की उसकी मुखालफत करेगे। यहा यह सवाल नहीं है कि मुस्लिम लीग कमानल आर्गो-निजेशन है, बल्कि हम उमके किरदार मे उसको जज करना चाहिये। जब जरूरत पडती है तो उसको नेशनल कहना और जब जरूरत नहीं है तो उमका कम्प्युनल कहना— यह गलत बात है—

कावा किस मुह म जाआगे गालिब शर्म तुम का मगर नहीं आती।

इम किस्म की बाते कह कर क्या आपको शर्म नहीं आती। एक तरफ हम का कोम-परस्त कहते है, दोस्ती का हाथ बढात है हमारा साथ लेकर हुकमत कायम करने हे आगर फिर यहा आकर कहते है कि हम कम्प्युनल है— शर्म तुमको मगर नहीं आती।

मैं आपमे यही अर्ज करना चाहता हू कि इस बिल का जो मकसद है वह बहुत महदूद

है, उस को समझना चाहिये, सोचने की कोशिश की जानी चाहिये, अगर ऐसी जमायतें, ऐसी तनजीन हैं जो वाकई मिलिट्री ट्रेनिंग देती है, फौजी ड्रिल सिखाती है, मुल्क में फिसाद कराना चाहती है नफरत फैलाना चाहती है, उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये। लेकिन जो अमनपसन्द तनजीम हैं, जो अपने नजरियात को पेश करती हैं, अपनी इन्डिविजएल्टी को कायम रखना चाहती हैं, अपनी कल्चर को प्रोटेक्शन चाहती हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही करने की कोशिश की जायगी तो हम उमकी मुखालफत करेगे।

[شری ابراہیم سلیمان سیٹھو کو جی

کوڈے)]
ایک نہایت ہی اہم مل آپ کے سامنے
مستحرمہ سبھدرا حوشی صاحبہ نے پیش
کیا ہے۔ جیسا کہ مجھ سے پیشتر
تقریر کرنے والے میرے دوست نے کہا ہے
اس مل کا مقصد نہایت ہی محدود
ہے۔ اور اس محدود مقصد کے لئے اس
مل کو یہاں پیش کیا گیا ہے لیکن
جہاں تک میں دیکھا ہوں اس مل کے
مقصد کو بحث کے دوران الجھادیا گیا
ہے خاصاً میرے مستحرم دوست دیتی
صاحب نے کچھ ایسی عہر ضروری
باتیں یہاں پر کہی ہیں۔ جس کی
وجہ سے اس مل کا مقصد ہی ٹوٹ ہو گیا
ہے۔ اور زیادہ الجھاؤ بحث میں پیدا ہو
گیا ہے۔ یہاں پر خاص طور پر یہ
کہا گیا ہے کہ پابندی ان لوگوں پر
لگنی چاہئے جو ملٹری تربیلنگ

[شری ابراہیم سلیمان سمیتہ]
 دیکتے ہیں۔ جو قبول کرتے ہیں اور اس
 طرح سے نساہ کا باعث بنتے ہیں۔
 ملک میں نساہ برپا کرتے ہیں کسوں
 ریزی کرتے ہیں لوگوں کا قتل کرتے
 ہیں۔ ایسے اشخاص جو واقعی ملک
 کے دشمن ہیں۔ ان کے خلاف کاروائی
 کرنے کے لئے یہ بل لایا گیا ہے۔

جہاں تک اس مقصد کا تعلق ہے ہم
 اس کو پورا سپورٹ دیں گے۔ کیونکہ
 دیکھتے ہیں کہ اس ملک میں ایسے
 فرقہ پرست عناصر موجود ہیں۔ جو
 اپنی جماعت کو، بپے نوجوانوں کو، ملٹری
 ٹریننگ دیتے ہیں لاتھی چلانا سکھاتے
 ہیں۔ چاقو چلانا سکھاتے ہیں تلوار
 چلانا سکھاتے ہیں۔ نہیں معلوم کس کے
 خلاف کیا جاتا ہے یہاں تک
 ہماری فوجوں کا تعلق ہے ہماری فوجیں
 بہت طاقتور ہیں۔ انہوں نے چائنا
 کو شکست دی ہے۔ انہوں نے پاکستان
 کو شکست دی ہے۔ وہ اتنے بہادر
 ہیں کہ ہم ان پر اعتماد کر سکتے
 ہیں۔ لیکن ہم دیکتے ہیں کہ
 آر۔ ایس۔ ایس۔ کے نام پر ملٹری کی
 ٹریننگ دی جاتی ہے۔ لاتھی چلانا
 سکھایا جاتا ہے تلوار چلانا سکھایا جاتا
 ہے۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ یہ ایسا طریقہ
 ہے اس طرح لوگوں کے دلوں
 کو جوڑنے کی بجائے اس کو توڑنے کی
 کوشش کرتا ہے۔ اس کے لئے اگر

اتھلی جاتیں تو بلات نہیں ہوگا۔ اس
 ملک کے اندر ہندو مسلمان سب
 مساوی سب بھائی بھائی کی طرح
 رہیں ہمارے ملک کی ترقی کے لئے
 کوشاں ہوں تو ہم پوری طرح ان کے
 ساتھ ہیں۔ لیکن کبھی غلط باتیں کہہ
 دی جاتیں ہیں۔ جیسا ریڈی صاحب
 نے کہہ دیا کہ مسلم لیگ نے کہا
 کیا۔ مسلم لیگ فرقہ پرست ناسمجھ
 نہیں ہے۔ اس کے پاس ملٹری
 آرگنائزیشن نہیں ہے۔ وہ تلوار چلانا
 نہیں سکھاتی۔ وہ بلندق چلانا نہیں
 سکھاتی۔ بلکہ مسلم لیگ جہاں
 ضرورت پڑتی ہے۔ وہاں پر مستحکم
 حکومت قائم کرنے میں آپ کی مدد
 کرتی ہے۔ اور اس کی مثال موجود
 ہے۔ یہاں پر مختلف مذہبوں کو
 ماننے والے لوگ بستے ہیں۔ مختلف
 کالج والے لوگ ہیں۔ ان کے خاص
 نظریات ہیں۔ ان کی خاص پالیسیز
 ہیں۔ جن کو پھس کیا جاتا ہے اور
 اپنی اکائی کی۔ سیکشن آف۔ پاپولرٹی
 انڈیویدولٹی کو قائم رکھنے کے حق
 میں ہیں۔ ہم اپنی کالجوں کی
 پروٹیشن چاہتے ہیں۔ اپنی ویلوز
 ان لٹیف کا قلم رکھنا چاہتے
 ہیں۔

حالانکہ یہاں ہر مختلف بھوار
 کے ماننے والے لوگ ہیں۔ مختلف
 کالجوں کے ماننے والے لوگ ہیں۔
 مختلف تہذیبوں میں یقین رکھنے

والے لوگ ہوں۔ مختلف زبانوں کو بولنے والے لوگ ہوں۔ لیکن ان تمام کو اپنی جگہ برابر ترقی کا موقع ملنا چاہئے۔ اس کے بعد یہاں پر ملک کی ترقی کا سوال آتا ہے ہم سب ملکر کوشش کریں۔ اتحاد پیدا کریں لیکن کہیں کہیں فطرتی بات کو چھوڑ کر انجانے کی کوشش کرنا مناسب بات نہیں ہے۔ کہ جماعت فطرتی ہے مسلم لوگ فرقہ پرست ہے اس پر پابندی لگنی چاہئے۔

جہاں تک میں سمجھتا ہوں۔ مستحکم سبھدرا جوشی نے مسلم لوگ کا فکر نہیں کہا کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ ہماری تنظیم میں کوئی ملٹری ٹریننگ نہیں ہوتی۔ ٹولو چلانا نہیں سکھایا جاتا۔ لٹھی چلانا و بلدوق چلانا نہیں سکھایا جاتا۔ جن مسلمان نے اس بل کی حمایت کی ہے کسی نے بھی ہمارے خلاف کچھ نہیں کیا۔ لیکن ریڈی صاحب نے معلوم نہیں بہت کو فطرتی باتیں کہ کر انجانا دیا ہے

جتنی تقریریں ہوئی ہیں۔ سب نے یہی کہا ہے کہ اس بل کا مقصد محدود ہے۔ اس کے ذریعہ کسی پارٹی کو بین کرنے کا سوال نہیں ہے۔ جب حقیقت یہ ہے تو خواہ مخواہ تکرار پیدا کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ جہاں اچھی فضا پیدا ہوتی ہے لوگ اطمینان کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ وہاں اس قسم

کی باتیں کہنا قومی التعمیرات میں نہیں ہے۔ اور ایسی باتوں کی ہمیں مخالفت کرنی چاہئے۔

کوئی بل اگر کسی نیک مقصد کے لئے آتا ہے تو ہمیں ضرور اس کو سپورٹ کرنا چاہئے۔ لیکن اگر اس کا فطرتی استعمال کیا جائے گا تو ہم ضرور اس کی مخالفت کریں گے۔ یہاں یہ سوال نہیں ہے کہ مسلم لوگ کمیونٹی آرگنائزیشن ہے یا نیشنل بلکہ ہمیں اس کے کردار سے اس کی پالہسی سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہئے۔ جب ضرورت پڑتی ہے تو ہم کو جھٹلنا پڑے گا اور جب ضرورت نہیں ہے اس کو کمیونٹی کہنا فطرتی ہے۔

کہہ سکتے ہیں کہ اس سے چاہئے کہ فالتو شوم تم کو مگر نہیں آتی

ایک طرف ہم کو قوم پرست کہتے ہیں۔ دوسری کا ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ ہمارا سپارا لیبر حکومت قائم کرتے ہیں اور پھر یہاں کو کہتے ہیں کہ ہم کمیونٹی ہیں۔ شوم تم کو مگر نہیں آتی۔

میں آپ سے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس بل کا جو مقصد ہے وہ بہت محدود ہے۔ اس کو سمجھنا چاہئے۔ سوچنے کی کوشش کرنی چاہئے۔ اگر ایسی جماعتیں۔ ایسی تنظیمیں ہیں جو واقعی ملٹری

[شری ابراہم ساہان سیٹھ]
 ٹریڈنگ دیتی۔ ہوں۔ فوجی قوتوں
 سکھاتی ہیں۔ ملک میں فساد کو
 چاہتی ہیں۔ نفرت کو لانا چاہتی ہیں
 ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہئے۔
 امن پسند تنظیم ہے جو
 ایسے نظریات کو پھیلنے دیتی ہے
 ایسے فرقے کے وجود کو قائم رکھنا چاہتی
 ہے۔ ایسے کلچر کی پروجیکشن چاہتی
 ہیں۔ اگر ان کے خلاف کارروائی کرے
 گی کوشش کی جائیگی تو ہم اس کی
 مدد نہ کریں گے۔

श्री मुहम्मद जसोतूरहमान (किशगज) .
 मोहतरिम सदर, मोहतरिमा पुमत्रा जोशी
 जो को जितनी भी मुबारकबाद मेरी छोटी
 सी राय में दी जाय, वह बहुत कम होगी ।
 हिन्दुस्तान में, कम से कम इम सदन में वह
 पहली मोअज्जिज खानूत हे जिन्हान
 हिन्दुस्तान की एकता बरकरार रखन
 के लिए बहुत से काम किये है और यह
 उन की देन हे कि दफा 153 आठ० पी० सी०
 मे तबदीली लाई गई । हम सब का दायर लिए
 उन का मशकर होना चाहिये ।

में अर्ज करना चाहता हूँ कि उम बिन का
 सकसद सही मायना में बहुत महद्द है ।
 यह बात हमारे आर सद्दस्ता न माँ रहीं
 हैं, लेकिन साथ ही साथ इग बान का अमराग
 कि हिन्दुस्तान में अमन कायम हा हिन्दुस्तान
 में मारे लाग बान की जिव्दगी गुजार, चा
 मनमान हो, अरिजन हा, बरबत हा,
 ,इसल हो मारे लाग रात को आगम का
 नोद मा सक, उमी बात को महेनजर रत्रो
 इम दथा 153 को एमण्डमेंट को गई
 है ।

हम लोग पर अस्सर यह इलजाम
 लगाया जाता है कि हम लोग यहा भारी बहुमत
 से आ गये है -वाकई यह बात सही है कि

हम अपनी भारी तादाद में आये हैं । लेकिन
 इतने छोटे में अर्जों में जितने काम हम लोगों
 ने अपनी जनता के लिए किये हैं उन में यह
 भी एक बहुत बड़ा काम है कि हिन्दुस्तान
 में अमन को बरकरार रखा जा सके, ताकि
 पूरा हिन्दुस्तान तरक्की कर सके । अगर
 इस में कोई बाधा डालते हैं, दखलन्दाजी
 करते है तो मैं सरकार से कहूंगा —चूकि
 मेरो अपनी सरकार है —सरकार को पूरी
 तनदेही से काम लेना चाहिये, बाहे वह
 कोई फरक हो, पार्टी हो या कोई भी पार्टी से
 ताल्लुक रखता हो ।

में अर्ज कर रहा था कि ताकत की लड़ाई
 कोई नई लड़ाई नहीं है, कुर्सा हासिल करने
 के लिए कोई नई लड़ाई नहीं है ।

आप देखें कि उम जमाने में यानि हिन्दू
 पीरियड में भी लडाइया हुई है, भाई ने भाई
 का गना घाटा है । मुसलमान पीरियड की भी
 यही हालत रही है । जयचन्द का एक मशहूर
 बाकया है । आरगजेव के वक्त में यह बाते
 हुई है । जगे आजादी के माके पर 1857 में
 एम वाकयात हुए और एमे ही लोग जिनको
 कानूनी हद मे लाना चाहते है, उस वक्त भी
 थे । उनकी रूहे अभी भी भारत में रह गई है ।
 मिसाल के तार पर फाज में मुस्लिम सेक्शन
 से कहा गया हे कि मुबार की चर्चों हे कारतुस
 दान से मन खोचना आर हिन्दू मे कडा गया
 कि इममे साथ का चर्चों है, दान मे मन खोचो ।
 निहाजा जगे आजादी को उन बातों से धक्का
 लगा । आजतक उम किमी कुरजानिया दे चुके
 हे यह छिपा बात नहो है । हद तो यह हो गई
 कि इमी दिल्ली मे महात्मा गांधी को गोलीका
 निशाना बनाया गया । वह ऐसे ही लोग थे ।
 उन्हीं लोगों के लिए ऐसी पाबन्दी आथद करने
 की बात कही गई गई है । अगर ऐसे लोग
 एलेक्ट होकर आयेगे , चाहे पार्लमेंट में, स्टेट
 असेम्बली में या स्टेट काऊंसिल में तो आप
 अन्दाजा लगा सकते है कि उस वक्त इस मुल्क
 के लोगो का क्या हगर होगा ? इस मुल्क की

तरक्की का क्या हशर होगा और इस मुल्क के लोग कैसे जिन्दा रहेंगे ? इसलिए बहुत ही मुनासिब वक़्त में श्रीमती मुभद्रा जोशीजी ने यह अप्रैम्पेमेंट यज्ञ पर रखा है और इसको पानने में सरकार को एक मिनट की भी देर नहीं करनी चाहिये बल्कि फौरन मान लेना चाहिये और उसके बाद फौरन उसपर अमल करना चाहिए ।

श्रीमती मुभद्रा जोशीजी कह रही थी कि वे गोडा तथारीफ ले गई थी, वहा पर धर्म के नाम पर कितने लोग मारे गए, असम में जवान के नाम पर कितने लोग मारे गये और राची में कितने मुसलमान मारे गए । इन बातों में इस मुल्क की तरक्की किस तरह से रुकती है, इसका अन्दाजा आप इस बात से लगायें कि एक मिनट में 50 टन लोहा इस मुल्क में निकलता है, यह स्टैटिस्टिक्स बतलाती है । फिर कितने दिन एच ई सी का कारखाना बन्द रहा और कितने मजदूरों की रोजी छीनी गई है । इसलिए एक सेक्यूलर स्टेट में ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है जिनका नज़रिया यह हो कि जवान के नाम पर लोगों को मारे, मजहब के नाम पर मुसलमानों को मारे, राजन के नाम पर लोगों को मारे, किसी और चीज का वहाना बनाकर मारे— ऐसे लोगों की भारत में ज़रूरत नहीं है । बल्कि भारत में ऐसे लोगों की ज़रूरत है कि अगर आज तक कदम आगे चने ता फल दम कदम और परमों सी कदम आगे चल ताकि बाहर के मुल्क जा हमारी तरफ खिंचने है जो दम मुल्क में गड़बड़ी पैदा करना चाहते है व कामियाब न.हो सके ।

पिछली बार पार्लैमेंट में कहा गया था कि सी आई की बड़ी चर्चा है और एशिया भूषणजी ने भी उसका जिक्र किया है । आखिर इतनी गड़बड़िया किमकी शरत पर हो रही है जब तक कि किसी बाहरी मुल्क का उसमें हाथ न हो जिनको कि यह तरक्की पसन्द न आती हो । जिम तरह से 1857 में किसी को गाय के नाम पर, किसी को सुवर के नाम पर अलाहिदा कर दिया गया था उसी

तरह की चीज आज भी जारी है ताकि उनके जबदस्त पजे की छाप हमारी एकोनामिक और सोशल जिन्दगी पर पड़ती रहे और उनके हम गुलाम रहें । इसलिए अब वक़्त ऐसा आ गया है कि मुभद्राजी का जो अप्रैम्पेमेंट है उसको फौरन मान लेना चाहिए और जो कानून 153 (बी) पहले पास हुआ है उसको लागू करने में देर न की जाये । कोई भी हो इस तरह का जहर फैलाता है चाहे जवान के नाम पर, चाहे रीजन के नाम पर और चाहे हिन्दू मुसलमान के नाम पर उसको कानून की जद में लेना चाहिए ताकि सेक्यूलर हिन्दुस्तान का जो नकशा है उममें हमारे कास्टीट्यूशन के मातहत हर आदमी को खाने कमाने और काम करने की आजादी बरकरार रह सके और इस मुल्क में कहीं भी देगे फसाद होने के बजाय हमेशा अमन और चैन रहे । इस लिए मैं बजीर साहब से गुजारिश करता हू कि यह दोनों बातें हॉनी चाहिए । 153 बी दफा आई०पी०सी० को फौरन लागू करना चाहिए और सेक्शन के फ्रेम में चाहे रीजन के नाम पर रेलिजस नाम पर, रेथियल नाम पर, लेग्बेज के नाम पर, कास्ट के नाम पर या कम्युनिटी के नाम पर जितने लोग आते है उन पर बिल्कुल काननी पाबन्दी आयाद कर देनी चाहिए और साथ साथ पीपुल्स रिप्रेजेन्टेशन ऐक्ट में अप्रैम्पेमेंट की जो गुजारिश की गई है उसको भी फौरन मान लेना चाहिए, चूकि पार्लैमेंट का साइटेडल आफ डिमोक्रेसी का जाना है वह ऐसी जगह है जहा में मारे देश में राशनी पड़नी है । इसलिए आगे भी जवरो है कि इस अप्रैम्पेमेंट का फौरन मज़द किया जाना चाहिए ताकि राशनी पूरे देश में जाकर फैल सके ।

اشرى محمد محمد الرحمان
 (کشن گلدیج): محترم صدر- محترمہ
 سیدہ را جوشی متی کو حدی متی میہار کھان
 میہری چھوتی سی رائے میں دی جائے
 وہ بہت کم ہوگی۔ ہندوستان میں
 لیس سدن میں وہ پہلی معزز خوانہن

[شری مصدق جموں و ریاست جہلم] ہوں جنہوں نے ہندوستان کی ایکتا برقرار رکھنے کے لئے بہت سے کام کئے ہیں۔ یہ ان کی ذہین ہے کہ دفعہ ۱۵۳ میں آئی۔ پی۔ سی۔ میں جو تبدیلی لائی گئی ہم سب کو اس کے لئے ان کا مشکور ہونا چاہتے ہیں۔

میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس بل کا مقصد صحیح معلوم نہیں بہت محدود ہے۔ یہ بات ہتکارے اور دوستوں نے بھی کہی ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اس بات کی ذمہ داری کہ ہندوستان میں امن قائم ہو ہندوستان میں سارے لوگ چین کی زندگی گزاریں چاہے مسلمان ہوں۔ ہری جن ہوں۔ بھکورتہ ہوں۔ ترائی ہوں۔ سارے لوگ وات کو آرام کی نکتہ سونہیں۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس دفعہ ۱۵۳۔ پی۔ سی۔ کی اصلاحات کی گئی تھی۔

ہم لوگوں پر اکثر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم لوگ یہاں بھاری اکثریت سے آگئے ہیں۔ واقعی یہ بات صحیح ہے۔ کہ ہم اتنی بھاری تعداد میں آئے ہیں۔ لیکن اتنے چھوٹے سے عرصے میں جتنے کام ہم لوگوں نے اپنی جلتا کے لئے کئے ہیں ان میں یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے کہ ہندوستان میں امن کو برقرار رکھا جاسکے۔ تاکہ پورا ہندوستان ترقی کر سکے۔ اگر ہم اس میں کوئی باڈھا ڈالتے ہیں۔

داخل انداز کی گرتے ہیں تو میں سرکار سے کہوں گا۔ جو کہ میری اپنی سرکار ہے۔ سرکار کو پوری تلذہی سے کام لینا چاہئے چاہے کوئی فریق ہو۔ پارٹی ہو۔ یا کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھا ہو۔

میں عرض کر رہا تھا کہ طاقت کی لڑائی کوئی نئی لڑائی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس زمانے میں یعنی ہند پوربہ میں بھی لڑائیاں ہوتی ہیں۔ بھائی نے بھائی کا کلا کھونٹا ہے۔ مسلم پھریق کی بھی یہی حالت رہی ہے جے جلد کا ایک مشہور واقعہ ہے۔ اورنگزیب کے وقت میں یہ باتیں ہوتی ہیں۔ جنگ آزادی کے موقعے پر ۱۹۵۷ ع میں ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ اور ایسے بھی لوگ جن کو قانونی حد میں لانا چاہتے ہیں۔ اس وقت بھی موجود تھے۔ ان کی روحیں ابھی بھی بھارت میں رہ گئیں ہیں۔ مثال کے طور پر فوج میں مسلم سیکشن سے کہا گیا کہ سود کا گوشت ہے۔ دانت سے مت کھلیجیو۔ اور ہندو سیکشن سے کہا گیا کہ اس میں گائے کی چربی ہے دانت سے مت کھلیجیو۔ لہذا جنگ آزادی کو ان باتوں سے دھکا لگا۔ آج تک ہم جنگی قربانیاں دے چکے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے۔ حد تو یہ ہوئی ہے کہ اس دلی میں مہاتما گاندھی کو گولی کا نشانہ بنایا گیا۔ وہ ایسے ہی لوگ تھے۔ انہی لوگوں

کے لئے ایسی پابندی عائد کرنے کی بات کہی گئی ہے اگر اسے لوگ ملتخص ہو کر آئیں۔ چاہے پارلیمنٹ میں۔ سنگھت اسمبلی میں۔ یا اسٹیٹ کونسلز میں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت اس ملک کا کیا حشر ہوگا اس ملک کی ترقی کا کیا حشر ہوگا اور اس ملک کے لوگ کسے زندہ رہیں گے اس لئے بہت ہی ملتا سہ ہر وقت میں شریعتی سبھرا جوشی جی نے یہ امینڈمنٹ یہاں پر رکھا ہے۔ اور اس کو ماننے میں سرکار کو ایک ملت کی بھی دیر نہیں کرنی چاہئے۔ بلکہ فوراً مان لیا جائے۔ اور اس کے بعد فوراً اس پر عمل کرنا چاہئے۔

شریعتی سبھرا جوشی جی کہہ رہی تھیں کہ وہ گونڈا تشریف لے گئے تھے۔ وہاں پر دھرم کے نام پر کتلے لوگ مارے گئے۔ آسام میں زبان کے نام پر کتلے لوگ مارے گئے۔ رائچی میں کتلے مسلمان مارے گئے۔ ان باتوں سے اس ملک کی ترقی کس طرح سے وکتی ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ ایک مذمت میں ۵۰ تین لاکھ اس ملک میں نکلتا ہے۔ سٹیٹسٹکس بتلائی ہے پھر کتلے دن ایچ۔ ای۔ سی۔ کا کارخانہ بند رہا اور کتلے مزدوروں کی روزی چھن گئی۔

اس لئے ایک سیکولر سٹاک میں ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے جن کا نظریہ نہ ہو کہ زبان کے نام پر لوگوں کو ماریں۔ مذہب کے نام پر مسلمانوں

کو ماریں۔ علاقہ کے نام پر لوگوں کو ماریں۔ ایسے لوگوں کی بھارت میں ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ ایسے لوگوں کی بھارت میں ضرورت ہے کہ اگر آج ایک قدم آگے چلے تو کل دس قدم اور پڑوسوں کا قدم آگے چلے۔ تاکہ باہر کے ملک جو ہماری طرف دیکھتے ہیں۔ جو اس ملک میں گہرے پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ کامیاب نہ ہو سکیں۔

پچھلی بار پارلیمنٹ میں کہا گیا تھا کہ سی۔ آئی۔ اے۔ کی بڑی چرچا ہے اور ششی بھوشن جی نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ آخر اتنی گڑبڑ کس کی شہ پر ہو رہی ہے۔ چپ تک کہ کسی باہری ملک کا ہاتھ نہ ہو جس کو کہ اس ملک کی ترقی پسند نہ آئی ہو۔ جس طرح سے ۱۸۵۷ میں کسی کو لائے کے نام پر کسی کو سوور کے نام پر عہدہ کر دیا گیا تھا۔ اس طرح کی چھڑ آج بھی جاری ہے۔ تاکہ ان کے زبردست پلٹے کی چھاپ ہماری ایکٹو اسک اور سوشل زندگی پر پڑتی ہے اور اس کے ہم عام رہیں۔ اس لئے وقت ایسا آ گیا ہے کہ سبھرا جی کا جو امینڈمنٹ ہے اس کو فوراً مان لیا جائے۔ اور جو قانون ۱۵۳ ہی پہلے پاس ہوا ہے۔ اس کو لاکو کرنے میں دیر نہ کی جائے۔ کوئی بھی ہو اس ملک میں جو اس طرح کا زہر

[شہی محمد جمیل الرحمان]

پہلاتا ہے۔ چاہے زبان کے نام پر چاہے
 علاقہ کے نام پر - چاہے ہندو مسلمان
 کے نام پر اس کو قانون کی ذمہ
 لینا چاہئے۔ تاکہ سیکولر ہندوستان
 کا جو نقشہ ہے اس میں ہمارے
 کانسٹیٹیوشن کے ماتحت ہر آدمی
 کو کہانے کہانے اور کام کرنے کی آزادی
 برقرار رہ سکے اور اس ملک میں
 کہیں بھی دنگے فساد ہونے کی بجائے
 ہمیشہ امن اور چہن رہے۔ اس لئے
 میں وزیر صاحب سے گزارش کرتا
 ہوں کہ یہ دونوں باتیں ہونی چاہئیں
 ۱۵۳ ویں دفعہ آئی۔ پی۔ سی۔ کو فوراً
 لگو کرنا چاہئے۔ اور شکشن کے فوراً
 میں چاہے علاقہ کے نام پر مذہب
 کے نام پر نسل کے نام پر زبان کے نام
 پر ذات کے نام پر یا فرقہ کے نام پر
 جمنے لوگ اے میں ان پر بالکل
 قانونی پابندی عاید کر دیلی چاہئے۔
 اور ساتھ ساتھ بیویوں و بہنوں کے
 میں اسمبلمنٹ بل کی جو گزارش
 کی گئی ہے اس کو بھی فوراً مان
 لینا چاہئے۔ تاکہ پارلیمنٹ کو
 سٹیٹڈل آف بورڈ/بھی کہا جاتا
 ہے وہ انسی جگہ ہے جہاں سے سارے
 دیہے میں روشنی پہنچتی ہے۔ اس
 لئے یہ ضروری ہے کہ اس
 اسمبلمنٹ کو فوراً منظور کیا جانا
 چاہئے۔ تاکہ روشنی پورے دیہے
 میں جا کر پہنچ سکے۔

विधेयक यहां पर प्रस्तुत किया है वह बिलकुल
 ही निरर्थक और निराधार है। किसी भी हाउस
 में जब इस प्रकार का कोई प्रमेन्डमेंट बिल
 आता है जिस में राष्ट्र का हित हो तो वह कोई
 बुरी बात नहीं है लेकिन जब कोई ऐसा बिल
 सदन में पेश किया जाए जिसके पीछे कोई दल-
 गत भावनाएँ हों, जो प्रत्यक्ष रूप से दलगत
 भावनाओं से श्रोतप्रोत हों, जैसा कि श्री भी मैंने
 प्रस्तावक महोदय के भाषण में स्पष्ट पाया है
 तो वह बिल पार्टीगत दृष्टि से या निजी दृष्टि
 से हिनकर हो सकता है परन्तु मावजनिक्त
 हित को दृष्टि में रखते हुए लोकतंत्र
 के लिए हिनकर नहीं हो सकता है। मुझ से पूर्व
 बहुत से माननीय सदस्यों के अपने विचार यहां
 प्रस्तुत किए। भिन्न भिन्न प्रकार की दलगत
 भावनाओं से श्रोतप्रोत इन डिस्टेक्टवे में यहां पर
 छीटा बसी की गई। श्री मादरणीय शशी
 भूषण जी ने बहुत से विरोधी दलों के चाकीदारों
 के नाम गिनाए, मुझे खुशी है लेकिन दुःख इस
 बान का है कि जिन्होंने फर्गुसन इयम ग्रंथ
 के पीछे चलने वाले शिकारी कुत्तों का जिक्र
 नहीं किया जो कानून की आड में लोकतंत्र का
 शिकार कर रहे हैं (ध्यान) बस कुत्ते हैं
 ऐसा मान लीजिए, पकडन का मवाल नहीं है
 मैं एक बात आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि
 यह बिल जिसमें इस बात का जिक्र किया गया
 है कि यदि भाषा बिबाद को लेकर, सामप्र-
 दाधिकता जातिवाद, धर्मवाद को लेकर कोई
 ऐसा मनमंद जगता में उत्पन्न करता है जिससे
 हमारे राष्ट्र का ग्राहण होता है तो यह बात
 अपनी जगह पर सही है कि उस बात का मानने
 से हम इन्कार कर दें और ऐसा होना भी चाहिए
 लेकिन कार्य बिना कारण कमा नहीं होता।
 क्या कभी आपने साचा कि हमका कारण
 क्या है? हमका जन्मदाता कान है और उसको
 दूर करने के लिए कौनसा आपके पाम मापक
 यंत्र है जिसमें आप जान जाए और उसमें
 सुधार लाए। अच्छा होता आप कोई बिल
 ऐसा पेश करते जिससे भारत में एक जाति
 होती, भारत का एक धर्म होता और भारत
 की अपनी एक भाषा होती। हम नहीं समझते

श्री महा दीपक सिंह शास्त्री (कामगज)
 सभापति महोदय, श्रीमति सुमद्रा जोशी जी ने जो

कि ऐसा बिल यहाँ पर लाने की कोई आवश्यकता थी। लेकिन वह नहीं हुआ।

बहा तक इस बात का सम्बन्ध है कि क्राइम कौन करता है, साम्प्रदायिकता कौन फैलाता है, यह कोई नयी बात नहीं है। हाउस में हमेशा इस पर विचार होता रहा है, इस पर बक्तव्य आते रहे हैं और हमेशा हमने इस बात की माग की कि सब ने पहले आपको यह निश्चय करना होगा साम्प्रदायिकता नाम का विषय क्या है।

किसी पार्टी विशेष का साम्प्रदायिक कह देना, किसी संगठन को सम्प्रदायी कह देना यह नीति की बात नहीं है। आप को समझना होगा कि जिस साम्प्रदायिकता के पीछे आप जा रहे हैं वह क्या चीज है। यदि नहीं समझेंगे तो आप उसका इनाज नहीं कर सकते। कोई तरीका नहीं निकाल सकते जससे आप मुक्ति पा सकें।

माननीया सुभद्रा जॉशी ने गोडा का उदाहरण पेश किया था कि जब वह गोडा में गयी तो आर० एस० एस० के लोगों ने झगडा करा दिया झगडा कभी साम्प्रदायिक नहीं होता, कोई संगठन नहीं करता। झगडा हमेशा व्यक्तिगत हुआ करता है और वह झगडा करने वाला किसी भी पार्टी या धर्म वा हा सकता है। और कहीं का भी निवासी हो सकता है। इसलिए आपने गोडा में जाकर आर० एस० एस० के व्यक्तियों का जो मवक्षण किया, लेकिन सू०पी० में सहावर जिला एंटा में भी आपने देखा है? कि बहा क्या हुआ है नहा पर हरिजनो पर रूलिंग पार्टी के प्रति निषेध के परिचार का तरफ से इतने प्रत्याचार किए गए कि उन्होंने एक महीने तक डी० एम० के यहा भूख हडताल की। वह कान थो याद उमका थी वह अजर करनो ता मुक्त खुशो हाती।

मेरे कहने का मतलब यह है कि क्राइम करने वाला व्यक्ति किसी भी सम्प्रदाय

संगठन या पार्टी या किसी जाति और धर्म से सम्बन्धित हो सकता है, लेकिन यह नहीं हो सकता कि वह रूलिंग पार्टी या एक व्यक्ति था इसलिए सारी रूलिंग पार्टी हो ऐसी सी है। यह नहीं कहा जा सकता कि आर० एस० एस० के किसी गंदे आदमी ने कोई गलत काम किया है तो आर० एस० एस० या जनसभ उसके लिए जिम्मेदार है। यह कदापि नहीं हो सकता। आर० एस० एस० या जनसभ पर हमेशा बन्धे लगाया जाता है कि वह हिन्दू मुसलमान में भेदभाव पैदा करते हैं। मैं अर्ज करना चाहता कि जब पश्चिमी पाकिस्तान का हम विरोध करने हैं तो कहा जाता है कि हम मुसलमानों का विरोध करते हैं, लेकिन जब बंगला देश की मान्यता के लिए मत्याग्रह करते हैं तो आप हमको क्या सजा देंगे? मुआफिकत की देंगे या नफरत की देंगे इस लिए किसी व्यक्ति विशेष के कार्य को लेकर किसी को बदनाम किया जाए यह उचित बात नहीं है।

कहा गया है कि राजनीतिक सत्ता को हथियाने के लिए कुछ दल ऐसे क्राइम किया करते हैं। यहा सभी मद्दम्य चुन कर आने हैं ये उनमें पूछना चाहता हू कि क्या आज वोट डडे के आधार पर लिए जा सकते हैं? हरगिज नहीं। आज वोट मिलना है महदयता से। इस लिए इस प्रकार का मनोवृत्ति इस बिल के पीछे लाई गयी है वज सब्बा निगधार है।

एक बात और कहना चाहता हू कि दश की भाषा धर्म, जाति इन में कोई भी दंग का नागरिक नहीं बन सकता है। वह किसी ना किसी जाति, भाषा, धर्म वा मानन जाया होगा। यह ना हमारा मिमान रहना है कि इनको भवतवता हानी न करे। पर उचार स इस जित का लाता मानन यह है कि इस स्वतंत्रता पर मा राग लगायी जाए। लेकिन इस प्रकार के प्राजायन दड सहना में बहुत से है जिम के द्वारा हमने ही प्रतिबन्ध लगा हुआ है कि किसी व्यक्ति का यदि नैतिक पतन हो जाता है। ता वह चुनाव लडने के लिए हमेशा के

लिए संयोग्य माना जाता है। तो जब इस प्रकार की तमाम धाराएं हों, भविष्य में ही फिर ऐसे बिलों को लाने की क्या आवश्यकता है? इस लिए जी बिल माननीय सदस्या ने पेश किया है यह सार्वजनिक दृष्टि से सहायक नहीं है यह बिल उनकी निजी भावनाओं को प्रदर्शित करता है कि इसे बिल के पीछे उनकी क्या भावनाएं हैं। इसलिए यह बिल दूसरे दलों पर कुठाराघात करने की दृष्टि से ही यहाँ सदन में लाया गया है, और इसका कोई मतलब नहीं है। अतः यह बिल निरर्थक और निरंधार है इस लिए बिल का धोर विरोध करता हूँ।

SHRI C. H. MOHAMED KOYA (Mahaer): Mr. Chairman, I do not find anything seriously objectionable in the Bill moved by Shrimati Subhadra Joshi. In the statement of objects and reasons to the Bill and in her speech, the Mover made very clear the purpose behind it, but some of the speakers who supported the Bill have in their anxiety transgressed the limit and made unnecessary attacks on certain parties including the Muslim League.

Shri Reddy who comes from Andhra was attacking the Muslim League, forgetting the fact that he comes from a State where fissiparous tendencies are at their height, though at least the Muslim League is innocent in that respect. His own partymen are leaving the party and quarrelling among themselves as integrationists and separatists. The separatists are working in Hyderabad and some of them are integrationists in Delhi, though all of them claim to be secular in their approach and Shri Reddy throws the blame on the Muslim League.

In this country even some secular parties while contesting elections quarrelled among themselves, as between Reddys and Khammas, between Lingayats and Okkaligas, between Jats and Rajputs. But they have got a secular cloak to hide all these things. They accuse the other parties not

knewing that the boot is on the other leg.

The aims and objects of the Mover are limited as the Mover has stated in the Bill, but some speakers went to the extent of even suggesting banning of parties whose membership is confined only to certain communities, national parties of minority communities.

You must judge a party not by its name but by its actions. I want to avoid controversy but when people accuse the Muslim League, I would like to state that we, the Muslim League party, have supported all the progressive measures of Shrimati Indira Gandhi's Government. This was so even when the Indira Gandhi Government had not the overwhelming majority it has today. Even though we had no alliance with that Congress, we still supported them in the election of President Giri. We supported Banks nationalisation. We supported the Privy Purses Abolition Bill. But now we are accused of being communal when this charge is applicable to some of the secular parties.

SHRI SHASHI BHUSHAN: So you support foodgrains take over?

SHRI C. H. MOHAMED KOYA: Yes. In principle. We have only said that you should have the necessary arrangements to enforce it. Otherwise, as in the coal nationalisation measure after which coal prices went up, the same fate will overtake this measure in regard to the prices of foodgrains and this will defeat the very purpose of the measure. We are prepared to accept this. We only say that the officers cannot do this. There must be proper arrangements for implementing it. That is the only difference.

MR. CHAIRMAN: Kindly speak to the Bill.

SHRI C. H. MOHAMED KOYA: Shri Reddy has given us an advice to change our name. What is the harm

in a name? There is the Jan Sangh. The name is good. We are a national party. It is not the name that matters, it is the party's activity that counts. Shakespeare has said After all, what is there in a name? A rose by any other name will smell as sweet. Therefore, we need not take the trouble of changing the name. What is important is the activity. What is there in a name? For instance, in a country like Italy, the Christian Democratic Party is ruling, and there is no earthquake because of that. What about Malaysia? Three communal parties have been there the United Malaysian National Organisation, i.e., the UMHO, then the MCA—the Malaysian Chinese Association and the MIC—the Malaysian Indian Congress. An alliance of these three parties was led by Tunku Abdur Rahman formerly and now by Tun Abdul Razak. And we must all remember with gratitude that Malaysia was among the first to come forward and support us in the Indo-Pakistan war. Therefore, this change of name has nothing to do with the actual practice. The activity is important. If you name an ugly girl as *Sundari Bai*, it does not make a difference. So, the name is not the main thing. It is the activity of the Muslim League that is important.

17 hrs

I think that the nature of a party cannot be described by any name that it may have or by the cloak that it wears. It must be judged by the activities. I support Shrimati Subhadra Joshi's Bill in its objective, but my only fear is that it may be misused. Earlier in the day, there was another Bill under discussion during the course of which it was mentioned that some people were sent to the gallows by mistake. I do not know whether people will be sent to the "gallows" on the ground of communalism by mistake and they will not be allowed to come here. It is not enough that you call a party as a secular party and then quarrel over separation or non-separation. Therefore, if the provisions in the Indian Penal Code are

not enough, or if the Constitutional provisions are not enough, I do not grudge Shrimati Subhadra Joshi's efforts to amend the Representation of the People Act through this Bill.

But I do not want to go on record without challenging Shri Reddy when he attacked the Muslim League and threw the blame on them, and made such an argument, especially coming from Andhra Pradesh which is now the hotbed of fissiparous tendencies shown by the so-called secular parties.

श्री मूल बन्द डग (पाल.) मैं नहीं ममझता हूँ कि किसी को भी इम बिल का विरोध करना चाहिए। रिप्रिजेंटेशन आफ पीपल एक्ट में 153 (ए) पत्रले से है और (ब) और जाड़ने की यहा इम बिल में बात कही गई है। मंत्री जी खटे हो कर मैं जानता हूँ कि आप कहेगे कि इसको रख देना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ कि न इनका धार न उनको गर्म होना चाहिए। सब का अपने बिलो को टटालना चाहिए। सकीर्णता पाप है साम्प्रदायिकता महापाप है। साम्प्रदायिकता का हम नाम लेना नहीं चाहते हैं। जो धर्म का होता है वह धर्मों का नहीं होता और जो धर्मों का होता है वह धर्म का नहीं होता है। न हमारे लिए कोई हिन्दू है और न मुसलमान, हमारे लिए सब भारतीय है। सबिधान के प्रति जो बफादार नहीं हैं उनको हम बरदाश्त नहीं कर सकते हैं। जो चीन की बकालत करता है तो उनका क्या किया जाए यह भी सोचने वाली बात है। पुरी के शकराचार्य जिस तरह के विधटनकारों कार्य कर रहे हैं, उनको आप इस तरह के बिलन के दायरे में लाइये। वह क्या कहते हैं, देखिये

"The Scheduled Castes held a noisy demonstration against the Shankaracharya of Puri during a public debate at which the Hindu Religious Chief defended his views that inequality was the essence of Nature."

जब हम इसान इसान में भेद बतलाना चाहते हैं, इसकी बीकालतों को तोड़ना

[जी मूलबन्ध डालना]

चाहते हैं, नए समाज से इंसान इंसान में न आर्थिक भेद रखना चाहते हैं और न ही धर्म की दीवार रखना चाहते हैं और साम्प्रदायिकता की दीवार को भी तोड़ना चाहते हैं और जो इसके विरोध में जा कर बात करता है, उनके खिलाफ आप एकशन ले। सवाल एक ही है। जो हिन्दुस्तान का रहने वाला है जो हिन्दुस्तान के सविधान के प्रति वफादार है और उसके अनुसार चलता है, उनको काम करने की पूरी छुट रहनी चाहिये। सिखों के अखाड़े लगते हैं। उनमें वे तलवारें चलाते हैं, छुगिया चलाते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। छुरियों के घाव नहीं होते, घाव अन्दर के होते हैं। छुरी या लाठी कोई घाव नहीं करती है, इसके घाव इतने गहरे नहीं होते हैं लेकिन जो इमान इमान को अलग करते हैं वे ऐसे घाव हैं जो कभी भर नहीं सकते हैं। हमारा देश कवियों का देश रहा है, रहीम रखाण, जायसी का देश रहा है, यहाँ की संस्कृति हमें आपस में घृणा करना नहीं सिखाती, इस देश में विभिन्नता में एकता है फूना का चन चुन कर माला गंधी गूँटने अतः हमारा फर्ज है कि उस माला के फूलों को हम बिखरने न दें और उमकी वृद्धगर्नी को नष्ट न होने दें। हम सब अपने मन टटोले। जाति, धर्म आदि के नाम पर प्रचार करने वाले 17वीं और 18वीं सदी के लोग हैं। उनको इस जमाने में रहने का अधिकार भी नहीं होना चाहिये। यह नया जमाना है, नई रोशनी है। 18वीं सदी के तिलकधारी चल नहीं सकते हैं। हम समझते हैं कि आदमी का मन साफ होना चाहिये। सारे जहाँ से अच्छा हिन्दुस्तान हमारा, इसको हम न भूले। किमी पर हम छीटाकशी न करें। हम पहले तालें और फिर बोले प्रेम से बोले। फिज़ल की नुकताबीनी हम न करें। इससे कुछ नहीं मिलता है।

जब कोई इंसान इंसान में भेद करता है तो इसको देख कर दुख होता है, फिर चाहे पुरी के शंकराचार्य हो या कोई और विद्वान हो या अर्थ शास्त्री हो या धर्म का ज्ञाता हो। हमने बहुत सोच समझ कर सविधान को बनाया था। हमारा देश एक है और हमको इसको ऊपर उठाना है। इस प्रकार के जो भेद करते हैं, उनको मजा दी जाए। सविधान की बातों को जानते हुए जो इस प्रकार की बातें करते हैं, बिना मतलब के भेद पैदा करते हैं, जाति भेद पैदा करते हैं, उनको बरदाश्त नहीं किया जा सकता है।

मैं एक ही बात मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ वह बताए कि क्या कभी 153ए का इटरप्रेटेशन हाई कोर्ट की जजमेंट में हुआ है और क्या किसी का कर्नाक्शन हुआ है। हमने एक भी केस अभी तक इस तरह का नहीं देखा है। जल्दी जल्दी कदम उठाने के बजाय हम सोचें कि जो एक्ट बना हुआ है उसके किमी मैक्शन के अन्दर किमी को मजा हुई है? मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि जब गे रिप्रिजेंटेशन आफ पीपलज एक्ट बना है तब से समाज में नफरत फैलाने वाला की तादाद बढ़ी है या कम हुई है? एक बड़ा आदर्शवादी कदम आप उठाए मूझे काँट एतराज नहीं है। लेकिन अभी तक उमका इटरप्रेटेशन मालूम नहीं हुआ है। मैं चाहता हूँ कि मंत्री जी बयान दें कि कबन बताए कि 153ए के अन्तर्गत क्या हमने किमी को मजा दिलाई है। चुनाव में सब पार्टियाँ उतरती हैं, सब जनता का तकलीफें बढ़ी हैं और इनको हल करना चाहिये, इसकी दुहाई देती है। अब जो इनके मन के अन्दर की बात है, इसको वे जानें। बाहर और अन्दर की बारीकियों को हमें समझना होगा और उन पार्टियों को खत्म करना होगा जो देश में विष धोलती हैं, जहर

फैलाती हूँ, इसान का इंसान से भ्रमण करती हूँ, खाई पैदा करती हूँ उन में । उन लोगों तथा पाटियों को काम हमे नहीं करने देना चाहिए ।

बिबि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नौति राज सिंह चौधरी) : सभापति महोदय, इस विधेयक का उद्देश्य बहुत सीमित है । इस के जरिये यह मांग की गई है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(1) में "दफा 153ए" के बाद "दफा 153बी" जोड़ दिया जाये । बहस के दौरान माननीय सदस्यो ने इस विधेयक के उद्देश्य को छोड़ कर उस के बाहर जा कर, बहुत सी बातें कही है । उन बातों का मैं यहा कोई उत्तर नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि उन का इस बिल से कोई सम्बन्ध नहीं है ?

जहा तक धारा 153बी का सम्बन्ध है, वह क्रिमिनल ला (एम्डेमेट) बिल के जरिये इस सदन में स्वीकार कर ली है और 14-6-72 से इंडियन पीनल कोड में शामिल हो गई है । उस के अनुसार साम्प्रदायिक और अन्य फूट डालने वाले तत्वों द्वारा आयोजित ड्रिल, व्यायाम और वैसे ही क्रिया-कलाप को विधि के अधीन दंडनीय बना दिया गया है । इस बिल का उद्देश्य ये है कि जिन व्यक्तियों को धारा 153बी के अधीन सजा दी जाये, उन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के अन्तर्गत छ साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दे दिया जाये ।

माननीय सदस्यो को याद होगा कि 22 जून, 1971 को इस सदन ने एक प्रस्ताव पास कर के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन के लिए एक ज्वाइंट कमेटी बनाई थी । उस ज्वाइंट कमेटी

ने अपनी रिपोर्ट इस सदन और राज्य सभा के सामने प्रस्तुत कर दी है । उन रिपोर्टों के पहले भाग में ड्राफ्ट बिल दिया गया है, जिस को ज्वाइंट कमेटी ने 6 जनवरी, 1972 को स्वीकार किया था और वह 18 जनवरी, 1972 को इस सदन में प्रस्तुत हुआ था ।

जैसा कि मैंने कहा है, दफा 153बी 14-6-72 से इंडियन पीनल कोड का अंग बन गई । इसलिए ज्वाइंट कमेटी ने जो रिपोर्ट दी, उसमें दफा 153बी के बारे में कुछ नहीं कहा गया था क्योंकि उस समय दफा 153बी का अस्तित्व नहीं था । चूंकि अब दफा 153बी इंडियन पीनल कोड में शामिल हो गई है इसलिए ज्वाइंट कमेटी के ड्राफ्ट बिल के आधार पर शासन बहुत जल्दी एक बिल प्रस्तुत करने वाला है । उस से क्लॉज 17 में दफा 153ए के बाद दफा 153बी जोड़ने का निश्चय कर लिया गया है ।

शासन की ओर से बिल सदन के सामने आयेगा, उस में श्रीमती सुभद्रा जोशी के बिल में की गई मांग को स्वीकार कर लिया गया है । उस लिए मैं उन से प्रार्थना करूंगा कि चूंकि उन का उद्देश्य शासन द्वारा लाये जाने वाले बिल से पूरा हो जायेगा, इसलिए वह अपने इस बिल को वापिस ले ले । मैं श्री डागा से भी निवेदन करूंगा कि वे भी अपने प्रस्ताव को वापिस ले ले ।

श्रीमती सुभद्रा जोशी : सभापति महोदय, मंत्री महोदय के उत्तर के बाद मैं कुछ और कहना चाहती हूँ । जिन सदस्यों ने इस बिल का समर्थन किया है, मैं उन सब को धन्यवाद देना चाहती हूँ । कुछ सदस्यों ने यह मंशय प्रकट किया है कि-

(श्रीमती सुभद्रा जोशी)

बिल बिल को फलत फलते से प्रायोजित करने के बचने का प्रयत्न होगा। अगर कानून पर धनसूचक करने वाले सही नहीं हैं, वह कानून की बात नहीं है, बल्कि सरकार की बात हो जाती है लेकिन इस का मतलब यह नहीं है कि कानून बनाने ही न जाये।

मन्त्री महोदय ने यह आश्वासन दिया है कि वह जो बिल ला रहे हैं, उस में मेरा यह सशोधन शामिल है। इस लिए मैं उन को बहुत धन्यवाद देती हूँ। जैसे उन्होंने आदेश दिया है मैं हाउस से अपना बिल वापिस लेने की इजाजत चाहती हूँ।

Mr CHAIRMAN Now there is an amendment by Mr M C Daga Do you want to withdraw it?

SHRI M C DAGA Sir, I want the permission of the House to withdraw it

Amendment No 1 was by leave, withdrawn

Mr CHAIRMAN Now, the question is

"That leave be granted to Shrimati Subhadra Joshi to withdraw her bill"

The motion was adopted.

SHRIMATI SUBHADRA JOSHI
Sir I withdraw the Bill

17 15 hrs

CONSTITUTION (AMENDMENT)
BILL

(Amendment of Seventh Schedule)
by Shri Arjun Sethi

SHRI ARJUN SETHI (Bhadrak).
Sir, I beg to move

"That the Bill further to amend the Constitution of India be taken into consideration"

It needs hardly to be emphasised that the formative period in the life

of a child when he is to be imparted primary and secondary education is a very important period. But it is regrettable that education in both these stages being in the sphere of States who do not have sufficient funds is most neglected. The result is that the children are not even half-educated when they came out of the secondary stage of education. While emphasising the role of education in the national life of India the Education-Commission in 1964 remarked

The destiny of India is now shaped in her class rooms. In a world based on science and technology it is education that determines the level of prosperity, welfare and security of the people. The quality and number of persons coming out of our schools and colleges still depend our success in the great enterprise of national reconstruction whose principal objective is to raise the standard of living of our people"

The Education Commission further recommended

"The magnitude gravity and urgency have increased immensely and it has acquired a new meaning and importance since the attainment of independence and the adoption of the policy and techniques of planned development of the national economy. If the pace of national development is to be accelerated, there is need for well-defined bold and imaginative educational policy and for determined and vigorous action to vitalise, improve and expand education"

The size and complexity of the problem has been further accentuated with the rapid increase in the population of the country commensurate with the increase in the number of enrolments and with the phenomenal growth of educational institutions itself